रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 6 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 15, 1942 शक संवत्) [संख्या 10

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	291–304	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	251–298	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	335–355	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

पुनर्नियुक्ति

24 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 875/दो-4-2020-26/2(1)/2020—श्री जे0पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त, दिनांक 01 जनवरी, 2021 से अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर अधिकतम 02 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) पुनर्योजन की अवधि में उनको वह वेतन प्राप्त होगा जो उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में उनकी शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की राशि घटाकर प्राप्त हो अथवा उनके पुनर्योजित पद के वेतनमान का अधिकतम, दोनों में से जो कम हो। उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा परन्तु पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(2) श्री सिंह की प्रास्थिति अस्थाई कर्मचारी की होगी तथा अस्थायी कर्मचारी की भांति वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होंगे।

(3) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्त पर कोई यात्रा-भत्ता नहीं देय होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा-भत्ता नियम 16-ए में प्राविधान है।

(5) पुनर्योजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने के पहले किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुनर्योजित किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी समाप्त किया जा सकता है।

2—यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-सा-3-820/दस-2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

10 फरवरी, 2021 ई0

सं0 01/2021-I/50826/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 10 रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2021 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती

के स्थान पर ही पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 11 रु0 67,700-2,08,700) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	मो0 मोहसिन खान	531	2013
2	श्री पीयूष कान्त राय	533	2013
3	श्री आलोक सिंह	535	2013
4	श्री ज्ञान प्रकाश राय	538	2013
5	श्री अभिनव यादव	539	2013
6	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	540	2013
7	सुश्री श्वेता कुमारी यादव	542	2013
8	सुश्री मोनिका यादव	544	2013
9	श्री राम आशीष यादव	545	2013
10	श्री ओजस्वी चावला	550	2013
11	सुश्री वन्दना शर्मा	551	2013
12	सुश्री सलोनी अग्रवाल	552	2013
13	श्री राम करन	556	2013
14	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय	592	2013
15	श्री पवन कुमार	595	2013
16	श्री अपूर्व मिश्र	597	2013
17	श्री ओम प्रकाश आर्या	598	2013
18	श्री शबीहुल हम्द	601	2013
19	श्री अजय भदौरिया	603	2013
20	श्री दिलीप सिंह	605	2013
21	श्री ब्रम्हपाल सिंह	608	2013
22	श्री मनोज कुमार विष्ट	612	2013
23	श्री संजय कुमार शर्मा	613	2013
24	श्री नन्दलाल	614	2013
25	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	615	2013
26	श्री सतीश कुमार	617	2013
27	श्री तौकीर अहमद	627	2013
28	श्री अशोक कुमार वर्मा	628	2013
29	श्री राम सेवक यादव	630	2013
30	श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर	631	2013

1	2	3	4
31	श्री युद्धवीर सिंह	634	2013
32	श्री मुन्ना उपाध्याय	636	2013
33	श्री शबी हैदर	637	2013
34	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	638	2013
35	श्री मंगल सिंह रावत	640	2013
36	श्री अजय कुमार	645	2013
37	श्री गुरमीत सिंह	646	2013

2–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

प्रोन्नति/नियुक्ति

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 I/51945/एक-8-2021–श्री बृजेश कुमार शुक्ला, उप संचालक चकबन्दी, सीतापुर को तात्कालिक प्रभाव से संयुक्त संचालक चकबन्दी (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600 सातवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान के अनुसार लेवल-12) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत करते हुये नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री बृजेश कुमार शुक्ला, संयुक्त संचालक चकबन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा, यदि इस अवधि को बढ़ाया न जाय पर रहेंगे।

2–श्री बृजेश कुमार शुक्ला, नवप्रोन्नत संयुक्त संचालक चकबन्दी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

आज्ञा से,
संजय गोयल,
सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-8

प्रोन्नति

19 जनवरी, 2021 ई0

सं0 2/2021/173/23-8-2021-43(पी0डब्ल्यू0) अधि0/20–निर्देश याचिका संख्या 1555/2018 संजय भीमराव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 सितम्बर,

2019 के अनुपालन में श्री संजीव भीमराव (ज्येष्ठता क्रमांक 2346), सहायक अभियंता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भदोही को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 में मौलिक रूप से प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संजीव भीमराव को उनके कनिष्ठ श्री अनिल कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक 2347) की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 11 जुलाई, 2018 से नोशनल पदोन्नत माना जायेगा।

2—श्री संजीव भीमराव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग में कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर बने रहेंगे और यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

अनुभाग-4

सं0 52/18-4-2021-58 (विविध)/14

19 जनवरी, 2021 ई0

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020-25

1—पृष्ठभूमि—

वर्ष 2017-18 की अवधि में देश में होने वाला उत्पाद एवं सेवाओं का सम्मिलित निर्यात US$ 498.61 बिलियन था, जोकि विगत वर्ष की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2017-18 के मध्य निर्यात के क्षेत्र में 6.16 प्रतिशत की CAGR (Compound Annual Growth Rate) अर्जित हुई है जोकि देश को US$ 500 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाये जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। देश से होने वाले निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु कई उपाय किये गये हैं जिनमें व्यापार को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने, संरचनात्मक सुविधाओं के विकास, मानव संसाधन विकास, पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु डिजीटाइजेशन को प्रोत्साहन, उद्यमिता विकास के साथ-साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस प्रमुख हैं। वस्तु-निर्यात में 2015-16 से ही निरंतर वृद्धि देखी गयी जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2016-17 में डॉलर के रूप में 5.17 प्रतिशत तथा 2017-18 में 10.03 प्रतिशत आंकी गयी है। वर्ष 2018-19 में भारत का सकल निर्यात 314 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है जिसे देखते हुये आगामी 5 वर्षों में भारतीय सकल निर्यात को 500 बिलियन यूएस डालर के स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा।

वर्ष 2018-19 में 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के साथ सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित की गयी है जो कि भारत के सकल मूल्यवर्धन (GVA) का 54.3 प्रतिशत है। भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम लांच की गयी है जिसके अन्तर्गत सूचना तकनीकी/आई0टी0 संचालित सेवायें, पर्यटन तथा आतिथ्य, वित्तीय सेवायें, चिकित्सीय पर्यटन, यातायात एवं लॉजिस्टिक सेवायें, लेखा एवं वित्त सेवायें, दृश्य श्रव्य सेवायें, विधिक सेवायें, संचार, निर्माण सम्बन्धित इंजीनियरिंग सेवायें, पर्यावरणीय सेवायें, शैक्षणिक सेवायें जैसी 12 महत्वपूर्ण सेवाओं को चिन्हित किया गया है।

किसी देश/प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के विकास में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्यात न केवल महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है अपितु अतिरिक्त रोजगार सृजन का साधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश प्रतिष्ठा का भी निर्धारक होता है। इसी कारण निर्यात को अर्थ व्यवस्था के विकास का इंजन भी माना जाता है। उ0प्र0 भौगोलिक विशालता, जलवायुविक तथा सांस्कृतिक विविधता जनित उत्पादों की विशाल श्रृंखला, युवा शक्ति की ऊर्जा एवं हस्तशिल्प एवं कारीगरी की समृद्ध विरासत से सम्पन्न होने से निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से सर्वाधिक

सम्भावनाशील है। प्रदेश का क्षेत्रफल फ्रांस के क्षेत्रफल का आधा, पुर्तगाल का तीन गुना, आयरलैण्ड का 4 गुना, स्विट्जरलैण्ड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना तथा इंग्लैण्ड के क्षेत्रफल से थोड़ा अधिक है। इस प्रकार प्रदेश की भौगोलिक विशालता एवं जलवायुविक तथा सांस्कृतिक विविधता से तैयार उत्पादों की विशाल श्रृंखला अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदेश के उत्पादों हेतु विशाल मांग का अवसर उपलब्ध कराती है।

प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है जो देश की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत है। जिसमें युवाशक्ति की भागीदारी पूरे देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की युवा शक्ति की विशाल ऊर्जा, हस्तशिल्प की विरासत के साथ ही आधुनिक तकनीकी ज्ञान से सम्पन्नता तथा उद्यमिता की भावना तथा ऊंची उड़ान के सपने प्रदेश को मानवीय संसाधनों की दृष्टि से वरदान है। प्रदेश से वर्ष 2017-18 में कुल रु0 88,966.55 करोड़ का निर्यात हुआ है। इस प्रकार देश के निर्यात में 4.55 प्रतिशत योगदान के साथ देश का 5वां सबसे बड़ा जबकि भू-आबद्ध राज्यों में प्रदेश सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत, प्रोसेस्ड मीट में 41 प्रतिशत, कालीन में 39 प्रतिशत तथा चर्म एवं चर्म उत्पाद में प्रदेश की 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

प्रदेश से होने वाले कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है तथा कृषि के उपरान्त सर्वाधिक रोजगार सृजन इसी क्षेत्र से होता है। प्रदेश में निर्यात विगत वर्षों की तुलना में बढ़ा है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में निर्यात की स्थिति राष्ट्रीय औसत के 1.51 प्रतिशत की तुलना में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की दृष्टि से 7.06 प्रतिशत तक हुई है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात अंश भी 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत हुआ है। उ0प्र0 भारत के अन्य निर्यातक प्रदेशों की सारणी में पांचवे क्रमांक पर है।

प्रदेश से किये जाने वाले निर्यात में प्रोसेस्ड फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन (13.5%), टेलीकाम संयंत्र (7.45%) तथा आरएमजी मैन मेड फाईबर्स (5.31%) प्रदेश से 2018-19 के निर्यात की जाने वाली शीर्ष तीन सामग्री रहे। उत्तर प्रदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, यूनाईटेड किंगडम, नेपाल, जर्मनी, चाइना, स्पेन, फ्रांस तथा मलेशिया को प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता है। प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। यह अर्थशास्त्र का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि यदि मानव संसाधन को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाये तो यह किसी भी संस्थान या राष्ट्र के लिये चमत्कारिक अनुकूल परिणाम प्रदान कर सकते हैं। उ0प्र0 का यह मानव संसाधन विभिन्न उद्यमों यथा कृषि उद्योग, पर्यटन, हस्तकला आदि अनेक विधाओं से पारंगत है।

उ0प्र0 के अधिकांश जनपद देश के दो प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र दिल्ली तथा कलकत्ता के निकट है। यहां की भूमि अपेक्षाकृत समतल है जो निर्यात सामग्रियों और सेवाओं के अभिवहन की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुकूल है। उ0प्र0 नेपाल के अति निकट है जो निर्यात हेतु अनुकूल है। विगत वर्ष प्रथम बार नेपाल की रु0 4014 करोड़ से अधिक मूल्य का निर्यात किया गया। अपने उत्तरी पड़ोसी देश चीन से भी द्विपक्षीय समझौता होने की स्थिति में भी प्रदेश में निर्यात की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। प्रदेश में 6 राजकीय हवाई अड्डे हैं जो आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी में स्थित है। लखनऊ तथा वाराणसी से अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवायें भी संचालित हैं। मई 2018 में प्रदेश सरकार को मेरठ के जेवर ग्राम में नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का अनुमोदन केन्द्रीय नागरिक विमानपत्तन मंत्रालय से प्राप्त हो चुका है। इन सभी से प्रदेश निर्यात के लिये सर्वथा अनुकूल है।

भारत सरकार द्वारा देश में घोषित 100 स्मार्ट सिटीज में से सर्वाधिक अर्थात् 13 प्रदेश की हैं। 2018-19 के केन्द्रीय बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिये कुल रु0 1650 करोड़ का प्राविधान किया गया है । इससे रु0 50626 करोड़ के 1333 परियोजाओं को संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक पर्यावरण का सृजन होगा जो निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। औद्योगकीकरण तथा नियोजित नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 5 प्रमुख इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स को विकसित किया जा रहा है। इनमें से दो प्रमुख कोरीडोर्स दिल्ली, मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स (DMIC) तथा अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स से होने वाली आय को प्रदेश की जी0डी0पी0 में वृद्धि के लिये प्रयोग किया जायेगा। दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (DMIC) इसके साथ ही 6 मेगा इण्डस्ट्रियल जोन, 3 पोर्ट्स और 6 हवाई अड्डे, एक 6 लेन इण्टरसेक्शन रहित एक्सप्रेस-वे जो दिल्ली से मुम्बई को जोड़ती है तथा कई पॉवर प्लान्ट्स विकसित किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में इसका 36000 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र आता है जो 12 जनपदों में स्थित है। ग्रेटर नोएडा इस कोरीडोर का प्रवेश द्वार है। इसका सर्वाधिक लाभ प्रदेश को ग्रेटर नोएडा में इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, दादरी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब, बोराकी में मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब के क्रम में प्राप्त हो रहा है। मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी इसी कोरीडोर के अनुकूल परिणाम है। अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरीडोर्स (AKIC) इसके आस-पास भी भारत सरकार ने इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल डाउनशिप, इन्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा लॉजिस्टिक हब की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रत्येक उद्योगों को चाहे वह किसी भी क्षेत्र को हो प्रचुर मात्रा में भूमि व जल की आवश्यकता होती है, उत्तर प्रदेश में इन दोनों संसाधनों की प्रचुरता उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से इसे अन्य राज्यों से पृथक करती है। यहां की उपजाऊ भूमि में उत्पादित कृषि उत्पाद उनके निर्यात हेतु उपयुक्त परिस्थितियां सृजित करते हैं। उ0प्र0 की धार्मिक धरोहर के रूप में यहां अयोध्या, मथुरा, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज आदि जनपद हैं। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ की भांति अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। उ0प्र0 अच्छे सौर चमक क्षेत्र में है तथा यहां विशेषतः पूर्वी उ0प्र0 में सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किये जाने की पर्याप्त क्षमता है। राज्य में 48 राष्ट्रीय राज मार्ग, हवाई अड्डे, रेल लिंग के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से अच्छी संचार व्यवस्था है। यह पूर्व में ही IT तथा IT's इलेक्ट्रानिक तथा सेमी कन्डक्टर उद्योगों की स्थापना से एक केन्द्र के रूप में विकसित हो चुका है। नोएडा इसका उदाहरण है। राज्य में 12 विशेष आर्थिक जोन्स संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 1337/18-4-2015-58(विविध)/14, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 द्वारा उ0प्र0 निर्यात नीति, 2015-20 घोषित की गयी है। भारत सरकार की प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति, 2020-25 के साथ समन्वय स्थापित करते हुये प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, प्रदेश में विद्यमान सम्भावनाओं का उपयोग, युवाओं को रोजगार सृजन, निर्यात की दिशा में त्वरित वृद्धि तथा प्रदेश में निर्यात परक प्रोत्साहनात्मक वातावरण के सृजन आदि के उद्देश्य से उपयुक्त रणीनतियों को समावेशित करते हुये प्रदेश की निर्यात नीति तैयार की गयी है। वर्तमान नीति से पूर्व कोई विशेष निर्यात नीति प्रदेश में प्रचलित नहीं थी, ऐसे में प्रथम बार विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :

2–**नीति के उद्देश्य**–

(1) निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

(2) निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात सम्बन्धी आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना।

(3) राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास।

(4) निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) स्थानीय/देश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना।

(6) निर्यात सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुये क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।

3–**क्रियान्वयन रणनीति**–निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न रणनीति अपनायी जायेगी–

i. भारत सरकार के विभिन्न निर्यात परक विभागों एवं संस्थाओं जैसे निर्यात संवर्धन परिषदों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गनाईजेशन (FIEO), इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन (ITPO), नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इन्फारमेशन एण्ड प्रोडक्ट सेक्टोरल एसोसिएशन (NCTI) के बीच समन्वय सुदृढ़ करना। इस हेतु केन्द्र-राज्य समन्वय प्रकोष्ठ (Center State Coordination Cell) की स्थापना किया जाना।

ii. उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन परिषद के माध्यम से प्रदेश की इकाईयों को विपणन विकास सहायता हेतु वर्चुअल/फिजिकल मेला प्रदर्शनियों/बायर-सेलर मीट्स में प्रतिभाग करने में सहयोग करना।

iii. निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण-एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के निर्यात सम्बन्धी प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण और निर्यातकों की समस्याओं के निवारण में ब्यूरो द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाना।

iv. समर्पित जीएसटी सेल-निर्यातकों की शिकायतों के निस्तारण तथा अन्य निर्यात सम्बन्धी मामलों हेतु एक समर्पित जीएसटी सेल की स्थापना करना।

v. ''मेक इन उ0प्र0, मेक इन इण्डिया'' के ब्राण्ड का विकास एवं प्रोत्साहन।

vi. निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना।

vii. निर्यात की प्रबल संभावनाओं वाले जनपदों के उत्पाद तथा सेवाओं को चिन्हित करते हुये उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु, उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।

viii. B2B Exchange की स्थापना जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी आन लाईन व्यापारिक सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

ix. क्लियरेन्स की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अच्छा रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को ग्रीन कार्ड देने की व्यवस्था प्रारम्भ किया जाना।

x. निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना विकास हेतु ट्रेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) की भांति राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ किया जाना।

xi. भारत सरकार की TIES योजना अन्तर्गत निर्यात उन्मुख जनपदों में निर्यात अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना।

xii. निर्यातकों को निर्यात का वातावरण तथा विश्व स्तरीय अवस्थापना प्रदान करने हेतु निर्यात की अधिक सम्भावना रखने वाले जनपदों में क्लस्टर/सेवा आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों की स्थापना किया जाना।

xiii. राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल पार्कों में स्थापित निर्यातक इकाईयों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियों प्रदान किया जाना।

xiv. हस्तकला समूहों को प्रोन्नत करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा ''एक जनपद एक उत्पाद'' (ODOP) योजना लागू की गयी है। इसमें हस्तशिल्प समूहों का मार्जिन मनी, क्षमता विकास तथा तकनीकी अवस्थापना (रु0 15 करोड़ की CFC तक) हेतु सहायता दी जा रही है। ओडीओपी सीएफसी योजना अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों में से ओडीओपी उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने/उनके निर्यात को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्तावों को वरीयता प्रदान करना।

xv. ऐसे उत्पाद समूह जो ओडीओपी योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं है किन्तु निर्यात की सम्भावना रखने वाले हों, को ब्यूरो द्वारा रु0 15 करोड़ तक की सीएफसी की स्थापना हेतु सहायता देने की रणनीति बनाना।

xvi. सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान किया जाना।

xvii. उद्योग एवं शैक्षणिक समुदायों/संस्थाओं तथा उत्पाद आधारित औद्योगिक संगठनों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जाना।

xviii. निर्यातकों को परिवहन लागत, विद्युत व्यय, बाजार विकास, प्रमाणीकरण इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।

xix. उ0प्र0 में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु एक विश्लेषणात्मक डाटाबेस का निर्माण करना।

xx. प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात अवस्थापना के विकास हेतु पब्लिक-प्राइवेट इनीशिएटिव को प्रोत्साहित करना।

xxi. राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति तथा जनपद स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों को संस्थागत सुदृढ़ीकरण प्रदान करना।

xxii. जिला निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DEPC) का गठन-जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा उपायुक्त सदस्य सचिव होंगे। जनपद के प्रमुख निर्यात इकाइयों के तथा प्रमुख औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी परिषद् के सदस्य होंगे। परिषद् द्वारा बैठकें आयोजित कर जनपद के निर्यात इकाइयों की समस्याओं का निदान किया जायेगा।

xxiii. उद्यमियों तथा राज्य के अधिकारियों में निर्यात सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार हेतु मांग के अनुसार क्षमता विकास की कार्यशालायें राज्य में विभिन्न जनपदों में आयोजित करना।

xxiv. उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मांग के सापेक्ष राज्य की अद्यतन तथा भावी निर्यात सम्भावनाओं को दर्शाते हुये प्रत्येक त्रैमास में एक रिपोर्ट का प्रकाशन।

xxv. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय ''जिला निर्यात बन्धु'' का गठन किया जाना जिसमें नीति से सम्बन्धित विषयों तथा अन्य अनिस्तारित मामलों पर विचार/निस्तारण किया जाना।

xxvi. ''जिला निर्यात बन्धु'' की बैठक को प्रत्येक त्रैमास में आयोजन किया जाना।

xxvii. प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय एक्सपोर्टर्स कानक्लेव का आयोजन कर प्रदेश के निर्यातकों की निर्यात से सम्बन्धित विभिनन समस्याओं का समाधान तथा निर्यात विकास की सम्भावनाओं की तलाश करना।

xxviii. एक्सपोर्ट क्रडिट को बढ़ावा देने हेतु निर्यात सम्भावना वाले जनपदों में कम से कम बैंक की एक शाखा का निर्धारण जो सूक्ष्म व लघु इकाईयों को उपयुक्त दरों पर ऋण उपलब्ध करा सके।

xxix. विभिन्न क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से क्षेत्र/उत्पाद समूह वार परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाना तथा इन समितियों में निर्यात संवर्धन परिषदों, विशेषज्ञ संस्थाओं, केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के साथ-साथ विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार के प्रवासी भारतीय विभाग को भी सम्मिलित किया जाना।

4–**नीति का क्रियान्वयन**–

i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

ii. इस नीति में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में, घोषित/स्वीकृत किये गये ऐसे प्रोत्साहन जिनके लिये राज्य सरकार पूर्व से ही प्रतिबद्ध है को सम्बन्धित लाभ प्राप्त किये जाने वाली इकाई से वापस नहीं लिया जायेगा तथा इकाई उस लाभ के लिये हकदार होगी।

5–**नीति क्रियान्वयन हेतु संस्था**–

निर्यात नीति उ0प्र0 2020-25 के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश (EPBUP), 8, कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

6–**निर्यात के फोकस क्षेत्र**–

देश के प्रत्येक जनपद को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किये जाने के बिजन को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुये प्रत्येक जनपद का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को प्रारम्भ किये गये 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के निर्यात संभावनायुक्त उत्पादों का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन उत्पादों के इको सिस्टम का अध्ययन करने हेतु डाइग्नोस्टिक स्टडी कराई जा चुकी है तथा चिन्हित अपूर्णताओं (Identified Gaps) की पूति हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। इन योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुये चिन्हित किये गये उत्पादों की

अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में सुधार तथा इनके उत्पादकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य का विकास कर प्रदेश की एक्सपोर्ट बास्केट में विस्तार किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। निर्यात के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नवत् हैं :

- हस्तशिल्प
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
- इंजीनियरिंग गुड्स
- हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल
- चर्म उत्पाद
- कालीन एवं दरियां
- ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद
- काष्ठ उत्पाद
- स्पोर्ट्स गुड्स
- रक्षा उत्पाद
- सेवा क्षेत्र
- शिक्षा
- पर्यटन
- आई0टी एवं आई0टी0ई0एस0
- मेडिकल वेल्यू ट्रेवल्स
- लॉजिस्टिक्स

7–**निर्यात हेतु प्रोत्साहन**–

7.1–**वित्तीय प्रोत्साहन–**

(7.1.1) बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत भारत के विकासशील देश की श्रेणी से हटाकर विकसित देशों की श्रेणी में लाने के फलस्वरूप होने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाया जायेगा।

(7.1.2) राज्य सरकार द्वारा कन्फर्मिटी यूरोपियन (CE) चाईना कम्पलसरी सर्टीफिकेट (CCC) आदि निर्यातकों द्वारा कराये जाने वाले अनिवार्य प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय के 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रति इकाई, प्रति वर्ष) तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7.1.3) उत्तर प्रदेश एक भू-आच्छादित राज्य होने के कारण यहां से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों को बंदरगाहों तक भेजने में अन्य राज्यों की तुलना के अपेक्षाकृत अधिक परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है जिससे इन उत्पादों की निर्यात लागत अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों के उत्पादों की निर्यात लागत से तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण इनकी निर्यात सामर्थ्य प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। प्रदेश की इस भौगोलिक अवस्थिति से प्रदेश के निर्यातकों की निर्यात लागत में होने वाली वृद्धि में आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल भाड़े पर अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्यातकों द्वारा वहन की जाने वाली वर्तमान परिवहन लागत के सापेक्ष तार्किक बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस योजना के अन्तर्गत गेटवे पोर्ट माल भाड़ा अनुदान योजनान्तर्गत आई0सी0डी0 सुविधा विहीन जनपदों से ट्रक के माध्यम से निर्यात हेतु परिवहन के लिये अनुदान की मद में किसी वित्तीय वर्ष में पात्र निर्यातक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखी जायेगी तथा किसी वित्तीय वर्ष में सृजित दायित्व को आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7.1.4) वायुमार्ग से भेजे जाने वाले निर्यात उत्पादों के परिवहन व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक राज्य सरकार द्वारा संचालित वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना को युक्तिसंगत बनाया जायेगा ताकि लखनऊ एवं वाराणसी में स्थित एयर कारगो काम्पलेक्स के साथ-साथ देश एवं प्रदेश के अन्य एयर कारगो काम्पलेक्स से भेजे जाने वाले ऐसे निर्यात उत्पादों जिनकी स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, को भी शामिल किया जायेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य रु0 2.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता में वृद्धि करते हुये प्रति निर्यातक इकाई प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख की अधिकतम सीमा तक आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

(7.1.5) विद्युत कर के रूप में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि उ0प्र0 सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में समायोजित की जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में आने वाली कमी को राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(7.1.6) एक मेगावाट से अधिक स्वीकृत विद्युत भार वाली इकाइयों को Open access से विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(7.1.7) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत पेटेन्ट, ट्रेडमार्क तथा जी0आई0 पंजीकरण प्राप्त किये जाने हेतु तथा इस दिशा में जागरूकता पैदा करने वाली संस्थाओं/संगठनों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिये जायेंगे तथा प्रत्येक जीआई हेतु Tag प्राप्त करने के लिये एक अलग सेल का गठन किया जायेगा।

(7.1.8) प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(7.1.9) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य ''उ0प्र0 निर्यात अवस्थापना विकास योजना'' हेतु प्राविधानित धनराशि से ही वित्त पोषित किया जायेगा।

8–निगेटिव लिस्ट में सम्मिलित इकाईयों के सम्बन्ध में व्यवस्था–

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश, 2020-25 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा तथा अन्य अनुषंकिग क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

(8.1) प्रस्तावित नीति में भारत सरकार/राज्य सरकार की Negative List में सम्मिलित इकाइयों को कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

9–निर्यातकों को उनके आयात/निर्यात वाले कंसाइन्मेन्ट के निर्बाध परिवहन हेतु ग्रीन कार्ड निर्गत किये जायेंगे–

9.1–**अर्हता–**

(9.1.1) ऐसे निर्माणकर्ता/उत्पादक या भारत सरकार के Exim पालिसी के अन्तर्गत परिभाषित शत-प्रतिशत ईओयू या जिन्हें सीमा शुल्क विभाग द्वारा ग्रीन चैनल्स की सुविधा दी गई हो।

(9.1.2) निर्यातक जिनका विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक निर्यात टर्न ओवर रु0 1.00 करोड़ या अधिक का हो।

(9.1.3) ऐसी इकाईयां जिनके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज 6 माह से अधिक का बकाया न हो तथा कोई मुकदमा विचाराधीन न हो।

(9.1.4) कर अपवंचन या फ्राड के मामले में कभी भी डिफाल्टर न हो।

(9.1.5) स्वतः निर्धारण द्वारा कर अदायगी से तत्पर होना।

(9.1.6) पी0एफ0 धनराशि जमा करने में तत्परता।

10–**सुविधायें**–

(10.1.1) ग्रीनकार्ड धारक के प्रस्तावों का राज्य के सभी विभागों द्वारा त्वरित निस्तारण किया जायेगा।

(10.1.2) ग्रीनकार्ड धारक के माल वाहक वाहनों का चेक पोस्ट पर न्यूनतम निरीक्षण होगा तथा उन्हें अनावश्यक रूप से नहीं रोका जायेगा।

(10.1.3) बिना किसी अवरोध के उन्हें स्टैचुटरी फार्म उनकी मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10.1.4) कार्ड धारकों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शिकायतों का विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

(10.1.5) राज्य सरकार के समस्त विभागों से सम्बन्धित लाइसेंस/परमीशन/कम्प्लायेन्स/नवीनीकरण आदि मामलों हेतु एकल खिड़की प्रणाली।

11–**ब्राण्ड इक्विटी (उ0प्र0 के ब्रान्ड का प्रोत्साहन)**–

11.1 **इंडिया ब्राण्डइक्विटी फण्ड से अधिकाधिक निर्यातक इकाईयों को आच्छादित किया जाना**–

उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाले उत्पादों/सेवाओं को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के रूप में स्थापित किये जाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फाउंडेशन के अन्तर्गत प्रदेश की अधिकाधिक निर्यातक इकाईयों को लाभान्वित कराने हेतु हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

12–**निर्यातकों हेतु मार्केट रिसर्च तथा डाटा बेस तैयार करना**–

निर्यातकों हेतु मार्केट रिसर्च तथा डाटा बेस तैयार करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के स्तर पर रु0 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष का एक फण्ड सृजित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा। इस फण्ड से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से अध्ययन कराते हुए डेटाबेस तैयार किया जायेगा ताकि निर्यातकों को रीयल टाइम डेटा डिसिमिनेशन एवं मार्केट इंटेलीजेंस का लाभ प्राप्त हो सके।

13–**सेवा क्षेत्र से निर्यात हेतु प्रोत्साहन**–

प्रदेश से सेवा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सेवाओं को चिन्हीकृत करते हुये उनके विकास हेतु अनुकूल परिवेश का सृजन किया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित चैम्पियन सर्विसेस सेक्टर स्कीम अन्तर्गत सम्यक् प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित नोडल केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रदेश के सर्वाधिक निर्यात सम्भावनाओं वाले सेवा क्षेत्रों में विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से क्षमता विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संचालन को प्रोत्साहित किया जायेगा–

(a) नर्सिंग पाठ्यक्रम

(b) केयर गिवर्स पाठ्यक्रम

(c) आयुष तथा वेलनेस प्रशिक्षण

(d) तकनीकी क्षमता विकास प्रशिक्षण

(e) पर्यटन तथा आतिथ्य सेवायें

(f) शैक्षणिक सेवायें

14–**सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन**–

14.1 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये इन पाठ्यक्रमों का संचालन विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे क्षमता विकास प्रशिक्षणों के प्रोत्साहन के लिये प्रति प्रशिक्षणार्थी आने वाले व्यय का 75 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा वहन किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय पाठ्यक्रमों के निरूपण के पश्चात् निकाला जायेगा। इन प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों को आयोजित करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय क्षमता विकास निगम/एफ आईईओ/प्रशिक्षण देने वाले निजी क्षेत्रों से भी सहयोग लिया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त की जायेगी ताकि सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु अर्ह हो सकें।

14.2 आई0टी0 क्षेत्र में बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु बिजनेस फैसिलिटेशन फोरम की स्थापना की जायेगी।

14.3 आई0टी0 तथा आई0टी0 इनेबल्ड सर्विसेस से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को प्रतिभागिता पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

14.4 जेवर एयरपोर्ट, डेडीकेटैट फ्रंट कोरिडोर आदि के आस-पास लॉजिस्टिक्स हब विकसित किये जायेंगे।

14.5 कारगो हैण्डलिंग एजेण्ट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को संस्थागत रूप प्रदान करने हेतु अनुकूल परिवेश का सृजन किया जायेगा।

14.6 प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मेलों में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

15–**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन परिषद् का सुदृढ़ीकरण**–

15.1 जनपद स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के जनपद स्तरीय कार्यालय के रूप में इस भांति विकसित किया जायेगा ताकि यह कार्यालय एवं इनमें तैनात अधिकारी/कर्मचारी जनपद को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

15.2 उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन परिषद् को इस भांति सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि परिषद् निर्यात संवर्द्धन हेतु राज्य सरकार के नॉलेज पार्टनर के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सके तथा राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन से सम्बन्धित संचालित किये जाने वाले कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक्सपोर्ट्स कम्युनिटी तथा राज्य सरकार के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य कर सके।

15.3 निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े हुये कार्मिकों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सम-सामयिक दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों/रिफेशर्स कोर्सेज का अनिवार्य रूप से आयोजन/प्रतिभाग कराया जायेगा।

15.4 उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को उपायुक्त उद्योग के साथ-साथ उपायुक्त निर्यात के रूप में भी जाना जायेगा।

16–**क्षमता विकास**–

उद्यमिता विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो/उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा निर्यात सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

17–**निर्यात के क्षेत्र में ''बेस्टप्रैक्टिसेज से निर्यातकों को परिचित कराने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम**–

निर्यात के क्षेत्र में ''बेस्टप्रैक्टिसेज से निर्यातकों को परिचित कराने हेतु क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

18–**उ0प्र0 कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019**–

उ0प्र0 सरकार द्वारा कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा देने तथा कृषकों की आय को दूरा करने के उद्देश्य से उ0प्र0 कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 घोषित की गई है। उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2020 द्वारा कृषकों की आय को दूना करने तथा कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को अंगीकृत कर सकेगी जो उ0प्र0 कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित हैं।

18.1 पशुक्रय-विक्रय हेतु पशु ई-हाटपोर्टल विकसित किया जाना, निर्यातोन्मुखी इकाईयों में नर भैंसा उत्पादन पर इन्सेन्टिव की व्यवस्था तथा प्रदेश को फुट-माउथ-डिजीज मुक्त किये जाने हेतु रोग मुक्त क्षेत्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।

18.2 खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित निर्यातक इकाईयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञ सेवाओं के हायर किये जाने पर वित्तीय सहायता का प्राविधान किया जायेगा।

18.3 आर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से मार्केट स्टडी कर समस्त भागीदारों के मध्य आंकड़ों का सम्प्रेषण करते हुये उनमें निर्यात सामर्थ्य का विकास किया जायेगा।

18.4 अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य मानकों के अनुरूप उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यकतानुरूप जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

19–प्रस्तावित नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन, संशोधन एवं परिमार्जन मा0 मंख्य मंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 15, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

January 26, 2021

No. 59/Admin.(Services)-2021–The Court's Notification No. 28/Admin.(Services)/2021, dated January 21, 2021 regarding posting of Sri Anupam Goyal, Additional District & Sessions Judge, Lalitpur as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki is hereby cancelled.

No. 60/Admin.(Services)-2021–Sushri Kavita Singh, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Lucknow *vice* Smt. Sapna Tripathi.

No. 61/Admin.(Services)-2021–Smt. Sapna Tripathi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Sharad Kumar Chaudhary.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 62/Admin.(Services)-2021–Sri Sharad Kumar Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate (Special Court Ayodhya Prakaran), Lucknow in the vacant Court.

No. 63/Admin.(Services)-2021–Smt. Purnima Sagar, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Sunil Kumar-II.

No. 64/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar-II, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow *vice* Sri Sudesh Kumar.

No. 65/Admin.(Services)-2021–Sri Sudesh Kumar, Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Mohanlalganj sitting at Lucknow *vice* Sri Sanjay Kumar-V.

No. 66/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Kumar-V, Civil Judge, Senior Division, Mohan Lal

Ganj sitting at Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Lucknow *vice* Smt. Sushil Kumari.

No. 67/Admin.(Services)-2021–Smt. Sushil Kumari, Civil Judge, Senior Division, Lucknow to be Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Shiva Nand.

No. 68/Admin.(Services)-2021–Sri Shiva Nand, Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat *vice* Sri Vinay Kumar-II.

No. 69/Admin.(Services)-2021–Sri Vinay Kumar-II, Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat to be Civil Judge, Senior Division, Ramabai Nagar *vice* Sri Kamalkant Gupta.

No. 70/Admin.(Services)-2021–Sri Kamalkant Gupta, Civil Judge, Senior Division, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat *vice* Smt. Sakshi Garg.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat.

No. 71/Admin.(Services)-2021–Smt. Sakshi Garg, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat *vice* Smt. Sonali Poonia.

No. 72/Admin.(Services)-2021–Smt. Sonali Poonia, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/ Kanpur Dehat.

No. 73/Admin.(Services)-2021–Sri Indra Jeet Singh-II, Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Chief Judicial Magistrate, Hapur *vice* Smt. Swati.

No. 74/Admin.(Services)-2021–Smt. Swati, Chief Judicial Magistrate, Hapur to be Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Sri Indra Jeet Singh-II.

No. 75/Admin.(Services)-2021–Smt. Lovely Jaiswal, Civil Judge, Senior Division, Mirzapur to be I-Civil Judge, Senior Division, Hapur *vice* Sri Amit Kumar Singh.

No. 76/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Kumar Singh, I-Civil Judge, Senior Division, Hapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hapur *vice* Sri Manoj Kumar Shasan.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hapur.

No. 77/Admin.(Services)-2021–Sri Manoj Kumar Shasan, Additional Chief Judicial Magistrate, Hapur to be Civil Judge, Senior Division, Mirzapur *vice* Smt. Lovely Jaiswal.

January 30, 2021

No. 78/Admin.(Services)-2021–Sri Jitendra Yadav, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Azamgarh *vice* Sri Ravish Kumar Attri.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Azamgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 79/Admin.(Services)-2021–Sri Ravish Kumar Attri, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 80/Admin.(Services)-2021–Sri Dhruva Rai, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Special Judge, Azamgarh *vice* Sri Sheo Chand for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 81/Admin.(Services)-2021–Sri Sheo Chand, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 82/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58G/2001, dated January 19, 2021, Sri Surendra Nath Tripathi, Additional District &

Sessions Judge, Azamgarh is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Firozabad.

No. 83/Admin.(Services)-2021–Sri Vinod Kumar-IV, Principal Judge, Family Court, Firozabad to be District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 84/Admin.(Services)-2021–Sri Raghvendra, District & Sessions Judge, Hardoi to be District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 85/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Rakesh Kumar-III, Presiding Officer, Motor Accident Claim Tribunal, Chandauli is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Kanpur Nagar.

No. 86/Admin.(Services)-2021–Sri Pramod Kumar Sharma, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Kanpur Nagar to be District & Sessions Judge, Siddharthnagar.

No. 87/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Narendra Kumar Jha, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lakhimpur Kheri is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Chandauli.

No. 88/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Lokesh Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lakhimpur Kheri.

No. 89/Admin.(Services)-2021–Sri Surendra Prasad (Mishra), Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Jhansi to be District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 90/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Virjendra Kumar Singh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gorakhpur is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Jhansi.

No. 91/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Bhagwati Prasad Saxena, Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gorakhpur.

No. 92/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58G/2001, dated January 19, 2021, Sri Shakeel Ahmad Khan, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hamirpur is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar.

No. 93/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Bilash Singh, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Ramayan Sharma.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 94/Admin.(Services)-2021–Sri Ramayan Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 95/Admin.(Services)-2021–Sri Rahul Kumar Katyan, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Special Judge, Sitapur *vice* Sri Ram Suchit for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 96/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Suchit, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 97/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Ram Kushal, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hamirpur.

No. 98/Admin.(Services)-2021–Sri Surendra Singh-I, Presiding Officer, Commercial Court, Gorakhpur to be District & Sessions Judge, Amroha.

No. 99/Admin.(Services)-2021–Sri Veer Nayak Singh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mirzapur to be Presiding Officer, Commercial Court, Gorakhpur.

No. 100/Admin.(Services)-2021–Sri Ranveer Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda *vice* Smt. Mita Kumari.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gonda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 101/Admin.(Services)-2021–Smt. Mita Kumari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 102/Admin.(Services)-2021–Sri Perwaiz Ahmad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Special Judge, Gonda *vice* Sri Angad Prasad-II for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 103/Admin.(Services)-2021–Sri Angad Prasad-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 104/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Ram Pyare, Additional District & Sessions Judge, Gonda is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mirzapur.

No. 105/Admin.(Services)-2021–Sri Vivek Kumar Dubey, Presiding Officer, Commercial Court, Agra to be District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 106/Admin.(Services)-2021–Sri Sudhir Kumar-III, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghaziabad to be Presiding Officer, Commercial Court, Agra.

No. 107/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government O. M. No. 74/II-4-2021-26/2(3)/82 T.C., dated January 29, 2021, Sri Manoj Kumar-III, Principal Judge, Family Court, Jaunpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghaziabad.

No. 108/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58G/2001, dated January 19, 2021, Sri Satya Prakash, Additional Principal Judge, Family Court, Faizabad is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Jaunpur.

No. 109/Admin.(Services)-2021–Sri Shyam Jeet Yadav, Principal Judge, Family Court, Sitapur to be District & Sessions Judge, Hamirpur.

No. 110/Admin.(Services)-2021–Smt. Sandhya Chaudhary, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Moradabad *vice* Sri Satya Prakash Dwivedi.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Moradabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 111/Admin.(Services)-2021–Sri Satya Prakash Dwivedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 112/Admin.(Services)-2021–Sri Intakhab Alam, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Special Judge, Moradabad *vice* Sri Anil Kumar Vashishtha for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 113/Admin.(Services)-2021–Sri Anil Kumar Vashistha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 114/Admin.(Services)-2021–Pursuant to Government Notification No. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58G/2001, dated January 19, 2021, Sri Mittar Pal Singh, Additional District & Sessions Judge, Moradabad is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Sitapur.

No. 115/Admin.(Services)-2021–Sri Rameshwar, District & Sessions Judge, Ghazipur to be Presiding Officer, Commercial Court, Lucknow.

No. 116/Admin.(Services)-2021–Sri Prashant Mishra, Presiding Officer, Commercial Court, Lucknow to be District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 117/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred by Rule 27-A of U.P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended) and all other powers enabling in this behalf, Hon'ble High Court is pleased to grant Super Time Pay Scale of Rs. 70,290-1,540-76,450- as per G.O. No. 3195/II-4-2003-45(12)/1991 T.C., dated 04-08-2003, read with G.O. No. 793/II-4-2010-45(12)/91 T.C. –VI dated 30-04-2010 and No. 1122/II-4-2011-45(12)/91 T.C. –6 dated 18-05-2011 to Sri Avinash Chandra Tripathi, an Officer of U.P. Higher Judicial Service, from 25-01-2020, subject to any Writ Petition pending in High Court/Hon'ble Apex Court in this regard and also subject to final determination of seniority of officers, in case it is not finalized.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

लोक आयुक्त

20 जनवरी, 2021 ई0

सं0 468/लो0आ0-2021-112-17/2017–एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा श्री आशीष कुमार रावत, अपर निजी सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निजी सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बेण्ड-3 वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100-1,77,500 में प्रोन्नत किया गया है।

अनिल कुमार सिंह,
सचिव।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

25 जनवरी, 2021 ई0

सं0 5422/अ0जि0भू0अ0/आगरा'–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि नागरिक उडड्यन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन ''ग्राम धनौली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु'' जनपद आगरा, तहसील व परगना आगरा ग्राम धनौली, में कुल 0.3097 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा, नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(1) ग्राम धनौली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु।

(2) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल (कोई नहीं) परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना है। विस्थापन के लिए अपरिहार्य निम्नवत् है–

शून्य

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	भूखण्ड सं0/गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला अभियुक्ति, यदि कोई क्षेत्रफल
		हेक्टेयर
1	128	0.0593
2	111	0.2304
	योग . .	0.3097

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्क क्रिया करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
राज्य सरकार/जिलाधिकारी,
आगरा।

NOTIFICATION

January 25, 2021

No. 5422/A.D.M. (L.A.) Agra–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.3097 hectares of land is required in the Village-Dhanoli, Pargana-Agra, Tehsil-Agra, District Agra is required for public purpose, namely, Project Civil Enclave Through Civil Aviation U.P., Lucknow. (Name of requiring body.)

2. Social Impact Assessment study was carried out by the A.D.M. (City) Agra Nodal Officer of Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 01-01-2021.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

(i) Land is required for public purpose namely Civil Enclave.

(ii) There is no any other anty effect construction on of this Project.

4. A total of No one families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

. . . . . .

Deputy Collector/Assistant Collector A.D.M. (City) Agra is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose:

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Agra	Agra	Agra	Dhanoli	128	0.0593
				111	0.2504
				Total . .	**0.3097**

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,

State Government/Collector, Agra.

ललितपुर के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

12 जनवरी, 2021 ई0

सं0 929/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) राजस्व अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जूलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम धौलपुरा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	गांवसभा की भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है				गांवसभा की भूमि जो आरक्षित की जाती है			
			गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर				हेक्टेयर	
1	ललितपुर	मड़ावरा पाली	धौलपुर/गदौरा	143	0.240	श्रेणी 6-1/अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि, खलिहान से श्रेणी 5-1-नवीन परती	बमराना/बमराना	76	0.240	श्रेणी 5-1-नवीन परती 6-1/अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि, खलिहान

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1066/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	धौलपुरा ग्राम समाज गदौरा	143	0.240	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को गौना-नाराहट ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

14 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1099 (1-7)/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम करौठी तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तहसीलदार स्याना द्वारा उपलब्ध कराये गये उपजिलाधिकारी स्याना के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.162 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20-56सा/2018, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के स्वच्छ

भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुए नगर विकास विभाग को नगर पालिका परिषद, स्याना में डम्पिंग ग्राउण्ड हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विशेष/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	करौठी	409	हेक्टेयर 0.162	5-1/ कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद), नवीन परती	उ0प्र0 शासन के स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुए नगर विकास विभाग को नगर पालिका परिषद, स्याना में डम्पिंग ग्राउण्ड हेतु।

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1142/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम रूकनपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तहसीलदार खुर्जा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित कुल 0.0640 हेक्टेयर भूमि की कीमत प्रचलित बाजारू दर रुपये 56,00,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रुपये 3,58,400.00 तथा पूंजीकृत मूल्य (मालगुजारी का 150 गुना) रुपये 235.50 इस प्रकार कुल रुपये 3,58,635.50 धनराशि वसूल किये जाने पर टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 खुर्जा, (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विशेष/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	रूकनपुर	706-स	हेक्टेयर 0.0640	6-4/ जो अन्य कारणों से अकृषिक हो/ऊसर	टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 खुर्जा (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) जिला बुलन्दशहर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजना उच्च तापीय विद्युत परियोजना खुर्जा में विद्युत उत्पादन के लिए ईधन (कोयला) की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन के निर्माण हेतु।

सं0 1143/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम जावल, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तहसीलदार खुर्जा के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित कुल 0.1066 हेक्टेयर भूमि की कीमत प्रचलित बाजारू दर रुपये 56,00,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रुपये 5,33,000.00 तथा पूंजीकृत मूल्य (मालगुजारी का 150 गुना) रुपये 357.00 इस प्रकार कुल रुपये 5,33,357.00 धनराशि वसूल किये जाने पर टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 खुर्जा, (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	जावल	491/528 47-क योग . .	0.037 0.0696 0.1066	5-1/ कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद), नवीन परती	टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 खुर्जा (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) जिला बुलन्दशहर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजना उच्च तापीय विद्युत परियोजना खुर्जा में विद्युत उत्पादन के लिए ईधन (कोयला) की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन के निर्माण हेतु।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

झाँसी के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

16 जनवरी, 2021 ई0

सं0 187/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि

को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम खिसनी बुजुर्ग, तहसील मऊरानीपुर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	खिसनी बुजुर्ग	1276-मि0	हेक्टेयर 0.162	श्रेणी-5-3ङ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)

27 जनवरी, 2021 ई0

सं0 219 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802 / 1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम धायपुरा, तहसील मऊरानीपुर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	धायपुरा	542-मि0	हेक्टेयर 0.140	श्रेणी-5-3ङ बंजर झाड़ी	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)

सं0 220 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802 / 1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि

को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पिरौना, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	पिरौना	282-मि0	हेक्टेयर 0.153	श्रेणी-5-3ङ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)

29 जनवरी, 2021 ई0

सं0 225 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802 / 1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम बरगॉय अहीर, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	बरगॉय अहीर	635-मि0	हेक्टेयर 0.352	श्रेणी-5 (1) नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)

30 जनवरी, 2021 ई0

सं0 226 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802 / 1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम सरसैडा, तहसील टहरौली जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	सरसैडा	1285	हेक्टेयर 0.130	श्रेणी-5 (3)ङ बंजर	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन (गुरसरांय मुख्य नहर से बडवार झील भरने हेतु)

सं0 227/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम बरौरा, तहसील टहरौली जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	बरौरा	38	हेक्टेयर 0.214	श्रेणी-5-3ङ बंजर	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन (गुरसरांय मुख्य नहर से बडवार झील भरने हेतु)
					34- मि0	0.048	श्रेणी-5-1 नवीन परती	
					264	0.049	श्रेणी-5-1 नवीन परती	
					287	0.049	श्रेणी-6-4 बेहड़	
					274	0.016	श्रेणी-5-3ङ बंजर	
					543-मि0	0.036	श्रेणी-6-4 बेहड़	
					288-मि0	0.361	श्रेणी-6-4 बेहड़	

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी, झाँसी।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

22 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1537(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर के ग्राम पालर में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	खैर	टप्पल	पालर	382-मि0	2.310	5-3ङ बंजर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु। पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 शासन के निवर्तन पर।

01 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1566(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के ग्राम बढ़ा खुर्द में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना

हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	इगलास	हसनगढ़	बढ़ा खुर्द	05	हेक्टेयर 2.000	1-क ग्राम समाज	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु। पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

महोबा के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1667/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 16 जनवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 18 जनवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम कैमहा (ग्राम पंचायत कैमहा) तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थाापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ–

अनुसूची

मौजा ग्राम-कैमहा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6-4 जो अन्य कारणों से आकृषिक हो	खलिहान	275	298	1.668	0.243	1.425	5.3 ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	263	60	0.243	0.243	–

सं0 1668/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 16 जनवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 18 जनवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पलका (ग्राम पंचायत पलका) तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

मौजा ग्राम-पलका, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					हे0	हे0	हे0					हे0	हे0	हे0
1	6-4 जो अन्य कारणों से आकृषिक हो	खलिहान	329	342	0.518	0.160	0.358	5.3 ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	314	343-क	0.024	0.024	—
											345	0.093	0.093	—
											428-मि0	1.598	0.043	1.555
											तीन किता	1.715	0.160	1.555

सं0 1669/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 16 जनवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 18 जनवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम महेवा (ग्राम पंचायत महेवा) तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

मौजा ग्राम-महेवा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					हे0	हे0	हे0					हे0	हे0	हे0
1	6-4 जो अन्य कारणों से आकृषिक हो	खलिहान	425	446	1.052	0.166	0.886	5.3 ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	409	283-मि0	0.166	0.166	—

30 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1788/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2016-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 29 जनवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 18 जनवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-6 (4) जो अन्य कारणों से अकृषक हो (खलिहान) के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त 6 (4) खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम लिधौराखुर्द (ग्राम पंचायत लिधौराखुर्द) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

मौजा ग्राम-लिधौराखुर्द, की खतौनी सन् 1424 से 1429 फसली तक।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					हे0	हे0	हे0					हे0	हे0	हे0
1	6-4 जो अन्य कारणों से आकृषिक हो	खलिहान	214	183	0.809	0.093	0.716	5.3 ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	206	41 330 2 किता	0.061 0.032 0.093	0.061 0.032 0.093	0

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

मेरठ के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

06 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1136/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/2020-21—शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि, शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार वृहद गौ.संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/ प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	मेरठ	मेरठ	सरावा	नगला पातू	225-मि0	1.2390	ऊसर	पशुधन विभाग, उ0 प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु।

11 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1142/सात-डी0एल0आर0सी0/स्वामित्व योजना/2020—उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 434/एक-14/2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद मेरठ के 672 ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, गजट में अधिसूचना के दिनाांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजनाा के अधीन रखे गये हैं।

अतः मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त अधिसूचना में प्रकाशित ग्रामों में से निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में अधिसूचना के दिनांक से ग्राम आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया संपादित किये जाने के आदेश देता हूँ—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	मेरठ	मेरठ	जानी	सिसौला बुजुर्ग
2	मेरठ	मेरठ	जानी	मनसब गढ़
3	मेरठ	मेरठ	जानी	पस्तरा
4	मेरठ	मेरठ	जानी	नानू फतहपुर
5	मेरठ	मेरठ	जानी	बहरामपुर मोरना
6	मेरठ	मेरठ	जानी	मीरपुर जखेडा
7	मेरठ	मेरठ	जानी	टिमकिया

1	2	3	4	5
8	मेरठ	मेरठ	जानी	शीपुरा
9	मेरठ	मेरठ	जानी	अफजलपुर पावटी
10	मेरठ	मेरठ	जानी	फैजाबाद पंचगांव
11	मेरठ	मेरठ	जानी	घाट
12	मेरठ	मेरठ	रोहटा	पूठखास
13	मेरठ	मेरठ	रोहटा	जांजोखर
14	मेरठ	मेरठ	रोहटा	जटपुरा
15	मेरठ	मेरठ	रोहटा	दुर्जनपुर
16	मेरठ	मेरठ	रोहटा	रामपुर मोती
17	मेरठ	मेरठ	रोहटा	मीरपुर
18	मेरठ	मेरठ	रोहटा	आलमगीरपुर
19	मेरठ	मेरठ	रोहटा	चिन्दौड़ी पट्टी डालू
20	मेरठ	मेरठ	मेरठ	हाजीपुर
21	मेरठ	मेरठ	मेरठ	जुरार्नपपुर
22	मेरठ	मेरठ	मेरठ	अल्लीपुर जिजमाना
23	मेरठ	मेरठ	मेरठ	उपलहैड़ा
24	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	खन्दावली
25	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	बिजौली
26	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	जसौरी
27	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	आड़
28	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	धीरखेड़ा
29	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	रसूलपुर धन्तला
30	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	छतरी
31	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	फखरपुर कबट्टा
32	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	शफियाबाद लौटी
33	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	महीउद्दीनपुर ललसाना
34	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	भूडपुर
35	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	अम्हेडा आदिपुर
36	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	ख्वाजहांपुर
37	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	नंगला शेखू
38	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	कमालपुर
39	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	समयपुर
40	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	बढला कैथवाडा
41	मेरठ	मवाना	माछरा	ईशापुर
42	मेरठ	मवाना	माछरा	चन्दलावद उर्फ महलवाला
43	मेरठ	मवाना	माछरा	अमीनाबाद उर्फ बडा गांव
44	मेरठ	मवाना	माछरा	नित्यानन्दपुर
45	मेरठ	मवाना	माछरा	नंगली किठौर
46	मेरठ	मवाना	माछरा	गोविन्दपुरी
47	मेरठ	मवाना	माछरा	मवी
48	मेरठ	मवाना	माछरा	लुतफुल्लापुर बक्सर
49	मेरठ	मवाना	माछरा	मेघराजपुर
50	मेरठ	मवाना	माछरा	माछरा
51	मेरठ	मवाना	माछरा	कासमपुर
52	मेरठ	मवाना	माछरा	बहलोलपुर
53	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	रामपुर साधो नांगल
54	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	गाजीपुर
55	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	धनपुरा

1	2	3	4	5
56	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	दुर्वेशपुर
57	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	रसूलपुर इकला
58	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	सैदीपुर शादीपुर उर्फ रामनगर
59	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	ऐंची खुर्द
60	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	गेसूपुर शुमाली
61	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	महमूदपुर शर्की
62	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	तरबियतपुर जनूबी
63	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	तरबियतपुर शुमाली
64	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	मीरपुर साधो नांगल
65	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	खटकी
66	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	दयालपुर
67	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	अफजलपुर उर्फ रानी नंगला
68	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	भण्डौरा
69	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	दबखेडी
70	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	सुजातपुर
71	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	भागूपुर
72	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	रठौडा कला
73	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	सराय खादर
74	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	दौलतपुर उर्फ मालीपुर
75	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	झडाका
76	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	रूस्तमपुर उर्फ भीकुण्ड
77	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	धूमा नंगली
78	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	खोडराय
79	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	गजूपुरा
80	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	मामीपुर
81	मेरठ	सरधना	दौराला	जेवरी
82	मेरठ	सरधना	दौराला	पौहल्ली
83	मेरठ	सरधना	दौराला	बटजेवरा
84	मेरठ	सरधना	दौराला	पावली खुर्द
85	मेरठ	सरधना	दौराला	खिर्वा नौआबाद
86	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	खिर्वा जलालपुर
87	मेरठ	सरधना	दौराला	समसपुर सुरानी
88	मेरठ	सरधना	दौराला	मछरी
89	मेरठ	सरधना	दौराला	चिरोडी
90	मेरठ	सरधना	दौराला	मटौर
91	मेरठ	सरधना	दौराला	जलालाबाद उर्फ जलालपुर
92	मेरठ	सरधना	दौराला	नंगला मुख्त्यारपुर

1	2	3	4	5
93	मेरठ	सरधना	दौराला	उलखपुर
94	मेरठ	सरधना	दौराला	बिहटा
95	मेरठ	सरधना	दौराला	मीठेपुर
96	मेरठ	सरधना	दौराला	मैथना इन्द्र सिंह
97	मेरठ	सरधना	दौराला	मामूरपुर उर्फ देदवा
98	मेरठ	सरधना	दौराला	खनौदा
99	मेरठ	सरधना	दौराला	मवीमीरा
100	मेरठ	सरधना	दौराला	समौली सलेमपुर
101	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	पाथौली
102	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	भावा नंगला
103	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	भलसौना
104	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	बदरूद्दीननगर नानू
105	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	सरूरपुर खुर्द
106	मेरठ	सरधना	सरधना	सकौती
107	मेरठ	सरधना	सरधना	जीतपुर
108	मेरठ	सरधना	सरधना	भरोटा
109	मेरठ	सरधना	सरधना	जमालपुर गोमा
110	मेरठ	सरधना	सरधना	रूहासा

के0 बालाजी,
जिलाधिकारी, मेरठ।

कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

15 जनवरी, 2021 ई0

सं0 890/आठ-13/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/एक-1/2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016 दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20 (1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7, व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम विहंग, परगनाा जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद की 0.2469 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0 728/सात-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2020 दिनांक 01 जनवरी, 2021 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि रु0 93,82,200.00 (रु0 तिरानवे लाख, ब्यासी हजार दो सौ रुपये मात्र) एवं पंजीकृत मूल्य अंकन 1815.00 रुपये सहित पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित 0.2469 हे0 भूमि का कुल मूल्य रु0 93,84,015.00 (रु0 तिरानवे लाख, चौरासी हजार पन्द्रह मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम विहंग परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 638 रकबा 0.0939 हे0 (नवीन परती श्रेणी-5-1) एवं खसरा संख्या 409 रकबा 0.1530 हे0 (बंजर श्रेणी-5-2) कुल नम्बरान 02 कुल

रकबा 0.2469 हे0 को आरक्षित करने की शर्त के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहीत करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	विहंग	विहंग	35/1	0.1224	नदी	ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु।
					133/1	0.0250	नदी	
					273	0.0614	चकमार्ग	
					279	0.0093	चकमार्ग	
					282	0.0288	नाली	
				योग . .		0.2469		

21 जनवरी, 2021 ई0

सं0 932/आठ-45/1992-94–जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1477/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 1993 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम हेतु ग्राम जहानपुर, परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की 16.217 हे0 ग्रामसभा भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या 1078/आठ-45/1992-94 दिनांक 07 फरवरी, 1995 के द्वारा खसरा संख्या 263 रकबा 0.076 हे0, खसरा संख्या 271 एम रकबा 0.075 हे0, खसरा संख्या 318एम रकबा 0.253 हे0, खसरा संख्या 319 रकबा 0.304 हे0, खसरा संख्या 320 रकबा 0.013 हे0, खसरा संख्या 327एम रकबा 0.595 हे0, खसरा संख्या 329 रकबा 0.104 हे0, खसरा संख्या 330एम रकबा 0.126 हे0, खसरा संख्या 331 रकबा 0.708 हे0, खसरा संख्या 337 रकबा 1.379 हे0, खसरा संख्या 339 रकबा 1.429 हे0, खसरा संख्या 340एम रकबा 0.253 हे0, खसरा संख्या 348एम रकबा 0.810 हे0, खसरा संख्या 351एम रकबा 0.657 हे0, खसरा संख्या 352एम रकबा 1.644 हे0, खसरा संख्या 355 रकबा 0.101 हे0, खसरा संख्या 366 रकबा 0.304 हे0, खसरा संख्या 369 रकबा 0.114 हे0, खसरा संख्या 370एम रकबा 0.063 हे0, खसरा संख्या 372 रकबा 0.405 हे0, खसरा संख्या 381एम रकबा 0.404 हे0, खसरा संख्या 382एम रकबा 0.063 हे0, खसरा संख्या 383एम रकबा 0.114 हे0, खसरा संख्या 384 रकबा 1.935 हे0, खसरा संख्या 335 रकबा 1.290 हे0, खसरा संख्या 386 रकबा 0.810 हे0, खसरा संख्या 387एम रकबा 0.329 हे0, खसरा संख्या 388एम रकबा 1.151 हे0, खसरा संख्या 389एम रकबा 0.607 हे0, खसरा संख्या 390एम रकबा 0.101 हे0, कुल 30 नम्बर कुल रकबा 16.217 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 के विकास हेतु किया गया था।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1443/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लिखित किया गया कि श्री डालचन्द पुत्र टूकी, शीशपाल पुत्र मुरली मृतक बादूह वारिसान राकेश, राजेश, मायादेवी पुत्र व पत्नी सुखपाल, मसीचरन पुत्र मुरली मृतक बादूह वारिस संजय, दीपक पुत्रगण मसीचरन पुत्र मुरली समस्त निवासीगण ग्राम वाहनपुर परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के साथ रिट याचिका संख्या 28215/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2018 की प्रति संलग्न प्रस्तुत करते हुयें याचना की गयी कि वर्ष 1989 में कृषि योग्य भूमि श्रेणी 5 ख, रकबा 1.429 हे0 भूमि में से पृथक कर डालचन्द पुत्र टुकी, खसरा संख्या 384 रकबा 0.378 हे0, व शीशपाल पुत्र मुरली खसरा संख्या 384 रकबा 0.378 हे0, व मसीचरन पुत्र मुरली, खसरा संख्या

384 रकबा 0.378 हे0, भूमि आवंटित की गयी थी। राजस्व ग्राम जहानपुर में वर्ष 1990-91 में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर द्वारा औद्योगिक विकास निगम हेतु 68.594 हे0 कृषि भूमि का अर्जन धारा 1894 अर्जेन्सी क्लास के अनुसार अधिग्रहण किया गया तथा धारा 4/17 व 6/17 जारी होने के पश्चात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) बुलन्दशहर द्वारा याचीगण का कब्जा हस्तान्तरण अर्जन निकाय के नाम अभिनिर्णय घोषित कर दिया गया, जिसके आधार पर याचीगण की भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2018 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार जिला स्तरीय समिति अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित की गयी, जिसमें विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी, खुर्जा सब रजिस्ट्रार खुर्जा तथा अधिशासी अभ्यिन्ता, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, निर्माण खण्ड द्वितीय, गौतमबुद्धनगर को सदस्य नामित किया गया। उक्त समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याची को ग्राम समाज खाता संख्या 166, खसरा संख्या 381, रकबा 0.126 हे0 पुनर्ग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जाये। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2018 में जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि तीन माह के अन्दर प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक एवं मुखर आदेश पारित करके याची का प्रार्थना-पत्र निस्तारित करें तथा एक माह के अन्दर प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही करें, जिसके अनुपालन में उनके (जिलाधिकारी) द्वारा भू-प्रतिकर के सम्बन्ध में जनसमस्याओं के निवारण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी, जिसमें लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता जिला पंचायत के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरण के सचिव तथा सम्बन्धित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी व उपजिलाधिकारी सदर को सदस्य नामित किया गया। समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मण्डलायुक्त द्वारा निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 के द्वारा उक्त याचीगणों की भूमि गाटा संख्या 384 रकबा 1.137 हे0 व गाटा संख्या 381 क्षे0 0.126 हे0 भी पुनर्ग्रहीत की गयी है, जिसका राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद दिनांक 09 जून, 1995 में किया गया है। तत्समय त्रुटिवश याचीगण की उपरोक्त भूमि का भी पुनर्ग्रहण हो गया, जिसको पूर्व की भांति यथावत रखने के लिये पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 में संशोधन करते हुये याचीगण की पुनर्ग्रहीत उपरोक्त भूमि गाटा संख्या 384 रकबा 1.137 हे0 व गाटा संख्या 381 रकबा 0.126 हे0 का पुनर्ग्रहण निरस्त किये जाने के लिये मण्डलायुक्त को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। मण्डलायुक्त द्वारा याचीगण की भूमि पुनर्ग्रहण से अवमुक्त होने के उपरान्त, राजस्व अभिलेख खतौनी में याचीगण को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 विभाग को यदि याचीगण की भूमि की आवश्यकता है तो याचीगण से समझौता/कराकर उसको उचित प्रतिकर भुगतान के पश्चात् विभाग के नाम कर उक्त प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा याचीगण को उसकी भूमि के उपयोग/उपज व भौतिक कब्जा प्राप्त करने से वंचित न किया जाये। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रिट याचिका संख्या 28215/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2018 के क्रम में विज्ञप्ति दिनांक 07 फरवरी, 1995 को संशोधित कर खसरा संख्या 384 रकबा 1.935 हे0 में से 1.137 हे0 व खसरा संख्या 381 रकबा 0.404 हे0 में से 0.126 हे0 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 1910/आठ-45/1992-94 दिनांक 13 मई, 2019 द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्रकरण में पुनः स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 930/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के परीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 650/आठ-45/1992-94 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1051/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 650/आठ-45/1992-94 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) से आख्या प्राप्त की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रेषित आख्या दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन तब तक सम्भव नहीं है, जब तक वादग्रस्त भूमि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पुनर्ग्रहण के आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 से अवमुक्त नहीं हो जाती है। आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 के रिकॉल होने के उपरान्त ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन सम्भव है। चूंकि अवमानना याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की कम्पलाईन्स होने की बाबत शपथ-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2021 तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना है, इसलिये आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ से आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 को रिकॉल करने के अनुरोध का पुनः निवेदन प्रेषित किया जाना उचित है तथा वादग्रस्त भूमि आदेश दिनांक 07 फरवरी, 1995 के रिकाल के उपरान्त ही यू0पी0एस0आई0डी0सी0, गाजियाबाद/टी0एच0डी0सी0 खुर्जा द्वारा याचीगण को गाटा संख्या 381/0.126 हे0 व गाटा संख्या 384/1.137 हे0 भूमि को करार/समझौते के आधार पर विक्रय-पत्र/अधिग्रहण की कार्यवाही का प्रतिकर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। जिला शासकीय अधिवक्ता की उक्त आख्या के आधार पर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से पुनः इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनर्ग्रहण विज्ञप्ति सं0 1078/आठ-45/92-94 दिनांक 07 फरवरी, 1995 में संशोधन करते हुये ग्राम जहानपुर, तहसील खुर्जा की ग्रामसभा की भूमि गाटा सं0 384 रकबा 1.935 हे0 में से 1.137 हे0 व गाटा सं0 381 रकबा 0.404 हे0 में से 0.126 हे0 के पुनर्ग्रहण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1085/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में अवमानना याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी की ओर से शपथ-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2021 तक प्रस्तुत किया जाना है, पुनर्ग्रहण विज्ञप्ति आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 1995 रिकॉल होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। उनके द्वारा पुनः विज्ञप्ति दिनांक 07 फरवरी, 1995 को संशोधित करते हुये ग्राम जहानपुर, की ग्रामसभा भूमि गाटा सं0 384 रकबा 1.935 हे0 में से 1.137 हे0 व गाटा सं0 381 क्षेत्रफल 0.404 हे0 में से 0.126 हे0 के पुनर्ग्रहण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1443/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 23 अप्रैल, 2019, पत्र संख्या 930/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 1051/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या 1085/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 06 जनवरी, 2021, द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति सं0 1078/आठ-45/92-94 दिनांक 07 फरवरी, 1995 को संशोधित करते हुये ग्राम जहानपपुर की ग्रामसभा भूमि गाटा सं0 384 रकबा 1.935 हे0 में से 1.137 हे0 व गाटा सं0 381 क्षेत्रफल 0.404 हे0 में से 0.126 हे0 के पुनर्ग्रहण को निरस्त कर उक्त भूमि पुनः ग्रामसभा में निहित की जाती है।

शेष विज्ञप्ति संख्या 1078/आठ-45/1992-94 दिनांक 07 फरवरी, 1995 यथावत् रहेगी तथा यह संशोधित विज्ञप्ति मूल विज्ञप्ति संख्या 1078/आठ-45/92-94 दिनांक 07 फरवरी, 1995 का भाग रहेगी।

अनीता सी0 मेश्राम,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

05 जनवरी, 2021 ई0

सं0 251(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम जामू, ग्राम पंचायत जामू, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	जामू	1012	0.530 में से 0.059	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 बंजर	732क 1190ख योग. .	0.089 में से 0.040. 0.035 0.059	श्रेणी-5-1 बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 252(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम बरौली आजम, ग्राम पंचायत बरौली आजम, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	बरौली आजम	344	0.466 में से 0.070	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	377	0.482 में से 0.070	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकोर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

11 जनवरी, 2020 ई0

सं0 253(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम तेन्दुरा, ग्राम पंचायत तेन्दुरा, तहसील अतर्रा, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	अतर्रा	तेन्दुरा	437	हेक्टेयर 0.1820 में से 0.1195	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	1650	हेक्टेयर 0.2630 में से 0.1195	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 254(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम सांतर, ग्राम पंचायत सांतर, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता की दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	बबेरू	सांतर	462	हेक्टेयर 0.8660 में से 0.0625	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	355	हेक्टेयर 0.2830 में से 0.0625	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 255(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम अण्डौली, ग्राम पंचायत अण्डौली, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	बबेरू	अण्डौली	373	हेक्टेयर 0.2590 में से 0.1258	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	152	हेक्टेयर 0.2950 में से 0.1258	श्रेणी-5-3ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 256(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम मुसीवां, ग्राम पंचायत मुसीवां, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	बबेरू	मुसीवां	2564	हेक्टेयर 0.109 में से 0.072	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	851/2	हेक्टेयर 0.182 में से 0.072	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 257(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम पछौंहा, ग्राम पंचायत पछौंहा, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	पछौंहा	3016मि0	0.223 में से 0.072	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	473	0.085 में से 0.072	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 258(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम जुगरेहली, ग्राम पंचायत जुगरेहली, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	जुगरेहली	518	0.648 0.062	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	3ख	0.174 में से 0.062	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 259(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश संहिता, 2006 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बाँदा, अनुसूची के प्रस्तर 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	नरैनी	बरूआ कालिंजर	बरूआ कालिंजर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 346	273ख 274 योग. .	0.0490 0.0410 0.0900 में से 0.0750	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 260(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम दफ्तरा, ग्राम पंचायत दफ्तरा, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	दफ्तरा	185	0.680 में से 0.070	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	199	0.421 0.070	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 261(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम खरोली ग्राम पंचायत खरौली, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	बबेरू	खरौली	962	हेक्टेयर 0.9950 में से 0.0625	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	782ख	हेक्टेयर 0.0890 में से 0.0625	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

15 जनवरी, 2021 ई0

सं0 262(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम गुजेनी, ग्राम पंचायत गुजेनी, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	बबेरू	गुजेनी	296	हेक्टेयर 0.146	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	375	हेक्टेयर 0.166 में से 0.146	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-4 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 263(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम कोर्रही, ग्राम पंचायत कोर्रही, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	कोर्रही	1328	0.138 में से 0.065	श्रेणी-6-खाद गड्ढे के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	1554	0.158 में से **0.065**	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 264(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम चिल्ला, ग्राम पंचायत चिल्ला, तहसील पैलानी, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	पैलानी	चिल्ला	240	0.2180 में से 0.1200	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	241 298 योग.	0.1130 0.0240 में से 0.0060 0.1190	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 265(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम कायल, ग्राम पंचायत कायल, तहसील बबेरू, जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	कायल	264	0.6760 में से 0.625	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	460मि0	0.7680 में से 0.0625	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 271(4)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम गुरेह, ग्राम पंचायत गुरेह, तहसील बॉदा जिला बॉदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बॉदा	गुरेह	1029	0.4980 में से 0.0900	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	1569	0.1130 में से 0.0900	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	मनरेगा अभिसरण योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन के निर्माण हेतु।

सं0 272(4)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बाँदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बॉदा	दोहा	दोहा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 247	184	0.5390 में से 0.0400	मनरेगा अभिसरण योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन के निर्माण हेतु।

13 जनवरी, 2021 ई0

सं0 267(vi)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बाँदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बॉदा	मवई बुजुर्ग	मवई बुजुर्ग	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 2219	1363	0.5205 में से 0.4050	अत्याधुनिक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला की स्थापना व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पक्ष में।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी बांदा।

जालौन, स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1924/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	सदूपुरा	309	0.454 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 सदूपुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1925/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	काशीपुरा	246	0.295 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 काशीपुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1926/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	देवरी	14-ग	0.089	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 देवरी नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,02,795.00 (मु0 एक लाख दो हजार सात सौ पंचानवे रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1927/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	दहगुवा	231	0.364 में से रकबा 0.092	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम दहगुवा पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1928/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	नैनपुरा	139	0.405 में से रकबा 0.160	श्रेणी 6-2/अकृषक भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम नैनपुरा पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त

पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,15,000.00 (मु0 एक लाख पन्द्रह हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1929/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	खनुवॉ	392	1.420 में से 0.160	6-2/अकृषिक भूमि–स्थल, सडके, रेलवे, और ऐसी दूसरी भूमियां जो आकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 खनुवॉ नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1930/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	सुढार	229क	0.295 में से 0.160	5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 सुढार नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1931/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	छिरिया सलेमपुर	258	हेक्टेयर 0.372 में से 0.160	5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 छिरिया सलेमपुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,64,000.00 (मु0 दो लाख चौसठ हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1932/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	गधेला	57क	हेक्टेयर 0.619 में से रकबा 0.090	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम गधेला नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1933/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	सिहारी दाउदपुर	111	हेक्टेयर 0.629 में से रकबा 0.090	श्रेणी 6-4 (जो अन्य कारणों से अकृषित हो) गयी	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम सिहारी दाउदपुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1934/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	लहचुरा	402-क	हेक्टेयर 6.183 में से रकब 0.090	श्रेणी 6-2/ अकृषि भूमि आबादी	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम लहचुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,15,300.00 (मु0 एक लाख पन्द्रह हजार तीन सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1935/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	ऊद	192	0.295 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ऊद नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1936/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	छौलापुर	90	0.267 में से 0.090	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 छौलापुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,14,300.00 (मु0 एक लाख चौदह हजार तीन सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1937/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	हथना बुजुर्ग	543	0.567 में से 0.160	5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 हथना बुजुर्ग नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दौ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1938/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	कुसमरा	488	0.798 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 कुसमरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1939/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	बस्तेपुर	91	हेक्टेयर 0.514 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 बस्तेपुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दौ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1940/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	सिहारी चैलापुर	358	हेक्टेयर 0.190 में से 0.160	5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 सिहारी चैलापुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1941/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	कुठौन्दा बुजुर्ग	316 सा0आ0	0.906 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 कुठौन्दा बुजुर्ग नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दौ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1942/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	पर्वतपुर	353-ख	0.454 में से 0.160	5-1-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 पर्वतपुर नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दौ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1943/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	सहाव	431	हेक्टेयर 0.339 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 सहाव नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1944/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	बिरहरा	124	हेक्टेयर 0.275 में से 0.160	5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 बिरहरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दौ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1945/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	नगरी	350	0.294 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 नगरी नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,03,200.00 (मु0 दो लाख तीन हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1946/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	मडोरा	301	0.178	6-2/अकृषिक भूमि-स्थल, सडकें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हों	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 सला ग्राम समूह पेयजल योजना मडोरा।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 16,05,560.00 (मु0 सोलह लाख पांच हजार पांच सौ साठ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1947/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	राजीपुरा	111	0.300 में से रकबा 0.160	श्रेणी 5-1कृषि योग्य भूमि नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम राजीपुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,52,650.00 (मु0 दो लाख बावन हजार छः सौ पचास रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1948/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	महेशपुरा	45-मि0	हेक्टेयर 11.354 में से 0.160	5-1-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम महेशपुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,48,000.00 (मु0 दो लाख अड़तालीस हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1949/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	गोर्वधनपुरा माधौगढ	127	हेक्टेयर 0.178 में से रकबा 0.160	श्रेणी 5-1 कृषि योग्य भूमि नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 ग्राम गोर्वधनपुरा माधौगढ नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गाँवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,16,000.00 (मु0 दो लाख सोलह हजार रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 15, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सण्ड़ीला (हरदोई)

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1031/न0पा0परि0सण्डीला/बायलॉज/(2020-21)–नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, जनपद-हरदोई उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352 सा/2016, नगर विकास अनुभाग-05, दिनांक 29 जून 2018 में निहित "उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति" में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुये तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका परिषद्, सण्डीला (हरदोई) अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2020 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में यूजर्स चार्जेज लगाने हेतु "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2020" का प्राख्यापन करती है। जिसका विस्तार अधोलिखित है। प्रस्तावित उपविधि का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय प्रस्तावना'' में दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को कराया गया व एक माह के अन्दर आपत्ति मांगी गयी थी। परन्तु कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः यह उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा में प्रभावित होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2020

1–संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि न0पा0परि0, सण्डीला (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2020 के नाम से प्रभावी होगी।

(ख) यह नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सण्डीला की सीमा में प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, जनपद हरदोई की सीमा से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के अध्यक्ष से है।

(ङ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये समानुदेशित हों।

क्र0सं0	(6) खुले में कचरा फेंकने, पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने व स्वच्छ वातावरण में व्यवधान–	
1	नगरपालिका परिषद्, सण्डीला सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगह/सड़क/खुले में या जल निकास या नाला/नाली में कूड़ा/कचरा फैलाने/फेंकने/गाड़ने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड	शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ) प्रति प्रकरण
2	व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादन व अन्य) ठोस अपशिष्ट को नालियों/तालाबों या जल निकायों में फेंकने पर	रु0 100.00 (सौ रुपये) शुल्क
3	सड़क पर यत्र/तत्र थूकने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रु0) प्रति प्रकरण
4	सड़क/फुटपाथ पर/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रु0) प्रति प्रकरण
5	सड़क/फुटपाथ पर/खुले में मूत्रत्याग करने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रु0) प्रति प्रकरण
6	सड़क/फुटपाथ पर/खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रु0) प्रति प्रकरण
7	जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पंचायत सड़क/फुटपाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रु0) प्रति प्रकरण
8	सड़क/फुटपाथ पर कपड़े धोने या अन्य इसी तरह की गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड	शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रु0) प्रति प्रकरण

क्र0सं0	(7) कचरा पृथक्करण, संग्रहण, अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड–	
1	घरेलू	रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण
2	अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप में न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड	रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण
3	गार्डेन/बागवानी अपशिष्ट को मानकों के अनुसार पृथक्कीकृत न करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना	रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण
4	खाद्य-मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड/जुर्माना	रु0 300.00 (तीन सौ रुपये) प्रतिप्रकरण
5	पालतू पशुओं द्वारा नगर पंचायत सड़क/नाला/नाली/फुटपाथ पर गंदगी/गोबर करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना	रु0 500/– (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण

क्र0सं0		शुल्क
1	मरे हुये बड़े जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क	रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) प्रति प्रकरण
2	मरे हुये छोटे जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क	रु0 300.00 (तीन सौ रु0) प्रति प्रकरण

क्र0सं0		शुल्क
3	कोई भी व्यक्ति नगर पालिका को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा। शादी/विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु	शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण
4	प्रत्येक सड़क/फेरी विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़दान-हरा एवं नीला पृथक्-पृथक् अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटेस, कप्स, कैन्स, बचा हुआभोजन, सब्जियां, फल आदि और इन्हें नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा। विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेहड़ी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक्-पृथक् एकत्रीकरण हेतु डस्टबिन/कूड़ादान नही पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क	रु0 500.00 (पांच सौ रु0) प्रति प्रकरण
5	नगरपालिका सीमान्तर्गत खुले में/सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड	रु0 5,000.00 (पांच हजार रु0) (साधारण क्षति पर) एवं बल्क मात्रा में कूड़ा जलाने पर जुर्माना/ अर्थदण्ड रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रु0) प्रति प्रकरण
6	निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट स्वंय के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलबा निस्तारण	शुल्क रु0 2000.00 (दो हजार रु0) प्रति वाहन प्रति प्रकरण
7	सड़क/फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री-मौरंग, बालू, ईंट, भवन-मलबा, एवं ध्वंसा अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/ अर्थदण्ड	रु0 50,000.00 (पचास हजार रु0) प्रति प्रकरण
8	नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे, अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क	रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण

क्र0सं0	(16) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नगरपालिका परिषद्, सण्डीला द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–	
1	घरेलू (50 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क	रु0 15.00 (पन्द्रह रु0) प्रतिमाह
2	घरेलू (50 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क	रु0 50.00 (पचास रु0) प्रतिमाह
3	घरेलू (300 वर्ग मी0 से अधिक के मकानों पर) शुल्क	रु0 100.00 (एक सौ रु0) प्रतिमाह
4	व्यवसायिक प्रतिष्ठान-दुकान, ढाबा, स्वीट हाउस, काफी शाप आदि	रु0 200-500.00 (दो सौ/पांच सौ रु0) प्रतिमाह
5	गेस्ट हाउस	रु0 500.00 रू0 प्रतिमाह
6	हॉस्टल	रु0 400.00 रू0 प्रतिमाह
7	होटल/रेस्टोरेंट (बिना श्रेणी) से	रु0 500.00 प्रतिमाह

क्र0सं0	(16) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नगरपालिका परिषद्, सण्डीला द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–	
8	होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी तक)	रु0 1,000.00 प्रतिमाह
9	होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी से ऊपर)	रु0 2,000.00 प्रतिमाह
10	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शिक्षण संस्थान	रु0 500.00 मासिक
11	क्लीनिक डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी	रु0 500.00 (पांच सौ रु0) प्रतिमाह
12	छोटी एवं घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 (दस) किलोग्राम कचरा उत्पादन पर	रु0 500.00 (पांच सौ रु0) प्रतिमाह
13	गोदाम,कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा)	रु0 1,000.00.00 (एक हजार रु0) प्रतिमाह
14	मैरिज हाल, फेस्टिवल हाल, मेला एवं प्रदर्शनी 3000 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल में	रु0 500.00 प्रतिमाह
15	मीट (मांस अपशिष्ट) दुकान शुल्क	रु0 150 प्रतिमाह
16	बल्क जनरेटर (यूजर चार्ज) शुल्क	रु0 1,000 प्रति ट्राली
17	चाय स्टाल/फेरी/रोड पर ठेलिया यूजर चार्ज शुल्क	रु0 100 प्रतिमाह

उपरोक्त में अंकन से छूटे हुये अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादन–नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

क्र0सं0		शुल्क
1	नगरपालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क	रु0 02.00 (दो रु0) प्रति व्यक्ति
2	एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क	रु0 05.00 (पॉच रु0) प्रति व्यक्ति
3	नगरपालिका परिषद्, सण्डीला सीमान्तर्गत खुले में शौच/मल त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क	रु0 500.00 (पांच सौ रु0) प्रति व्यक्ति
4	तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क	रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) प्रति व्यक्ति
5	नगरपालिका परिषद्, सण्डीला सीमान्तर्गत महापुरूषों की प्रतिमायों के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क	रु0 500.00 (पांच सौ रु0) देय होगा

(20) उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना सं0 1056/9-7-18-29(लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूडा-कचरा (विनिमयन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगरपालिका के सीमाक्षेत्र मे समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों टंबलरों, थर्मोकोल, प्लास्टिक कैरीबैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भण्डारण, वितरण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसके उल्लंघन पर शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है, जो निम्नवत् है–

क्र0सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरीबैगों, प्लास्टिक, और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि
		रु0
01	100 ग्राम तक	1,000.00
02	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000.00
03	501 ग्राम-1 किलोग्राम	5,000.00
04	1 किलोग्राम-5 किलोग्राम	10,000.00
05	5 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

"नगरपालिका परिषद्, सण्डीला (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2020" में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा नगरपालिका को समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार नगर पालिका में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, सण्डीला,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सण्ड़ीला (हरदोई)

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1033/न0पा0परि0सण्डीला/बायलॉज/(2020-21)—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2020 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में "वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020" बनायी गयी थी। प्रस्तावित उपविधि का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय प्रस्तावना'' में दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को कराया गया व एक माह के अन्दर आपत्ति मांगी गयी थी। परन्तु कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः यह उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सण्डीला हरदोई की सीमा में प्रभावित होगी।

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020

1—**शीर्षक**—यह उपविधि न0पा0परि0, सण्डीला (हरदोई) वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**— विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है—

(क) **"नगर पालिका"** से तात्पर्य नगरपालिका, सण्डीला, जनपद हरदोई से है;

(ख) **"नगर पालिका की सीमाओं"** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है;

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है;

(घ) **"अध्यक्ष"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है;

(ङ) **"अधिनियम"** से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) **"वाहनों"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है;

(छ)**"**कर्मचारी**"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई के कर्मचारी से है;

(ज) **"**नाका बैरियर**"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई के नाका बैरियर से है;

(झ) **"**सड़क/पटरियों**"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गों प्रान्तीय, गैर प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

3–**शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह**–

1–नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 ट्योटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते है, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/पेट्रोल/गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक समान उतारने चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

2–नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगरपालिका सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हो की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हों, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगरपालिका परिषद्, सण्डीला की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगरपालिका परिषद्, सण्डीला निश्चित करेगी।

3–प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सके।

4–इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जांचोपरान्त उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

5–नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

6–यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगरपालिका परिषद्, सण्डीला की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में दण्ड वसूल कर रसीद देगा।

7–यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाडी नम्बर जो भी हो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

8–यह कि नगरपालिका चाहे तो वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू0 राजस्व भाति की जा सकेगी।

4– शुल्क से मुक्ति–

(1) निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे–

(क) मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बूलेंस।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के स्थनान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जावें।

(ग) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोडकर) जो सरकारी ड्यूटी पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ) नगर सीमा के अन्दर बिना रूके सीधे जाने वाले वाहन।

(ङ) जन प्रतिनिधि–सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री एवं समकक्ष प्रतिनिधि आदि के वाहन जो व्यक्तिगत/सरकारी हो करमुक्त होंगे।

5–प्रतिबन्ध–

(1) नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस, टैम्पो, टू सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं थ्री व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खडे होने एवं सवारी उतारने एवं चढाने हेतु निर्धारित किये जाते है।

(क) बेनीगंज बस अड्डा/पार्किंग।

(ख) अतरौली रोड बस अड्डा/पार्किंग।

(ग) उन्नाव/बांगरमऊ तिराहा बस अड्डा/पार्किंग।

(घ) गौसगंज रोड तिराहा पार्किंग।

(ड) लखनऊ रोड पार्किंग।

(च) प्रतिभा पुलिया के पास पार्किंग।

(2) कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनीबस, जीप, टैक्सी, टैम्पों इत्यादि जो सवारियां ढोती है वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 किमी0 परिधि में सवारी उतारने व चढाने हेतु न तो गाडी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, हरदोई को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के उल्लघंन होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यक पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आवादी में प्रतिबन्धित गाडियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

नगर पालिका परिषद सण्डीला, हरदोई की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी।

1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी ,बस (रोडवेज प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहन आदि	रु0 50.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिये रु0 100.00 प्रतिदिन)
2	ट्रैक्टर ट्राली	रु0 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 50.00)
3	मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु0 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 70.00)
4	टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो इत्यादि	रु0 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 60.00)
5	ई-रिक्शा	10.00 रु0 प्रतिदिन

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, जनपद हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर निमयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, सण्डीला,
हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा)

21 अक्टूबर, 2019 ई0

सं0 321/न0पा0प0-श0/2019-20—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद, जिला आगरा अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2019 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संचालन शुल्क उपविधि प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला'' में दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड के प्रस्ताव संख्या दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निम्नवत् उपविधि प्रकाशन उपरान्त प्रभावी मानी जायेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संचालन शुल्क उपविधि

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगरपालिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट शुल्क आरोपित उपविधियां।

नियमावली/उपविधियां

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृति।

2—यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) से है।

(ग) 'शुल्क' का तात्पर्य पालिका में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) 'प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) से है।

(ङ) 'निरीक्षणकर्ता' से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) अधिकृत किया गया हो।

3—नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4—नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद का होगा।

5—ठोस अपशिष्ट घटना की तिथि में देय होगा।

क्र0सं0	कृत्य	नगरपालिका द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	550.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	500.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
8	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगरपालिका की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	1,500.00 प्रतिदिन
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	500.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
12	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1,000.00 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	200.00 प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
22	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होग, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	1,000.00 प्रतिदिन
24	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज।

1	2	3
		रु0
25	खुले में शौच करने पर	500.00 प्रति घटना
26	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर	100.00 प्रति घटना
27	पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धुम्रपान करने पर	पहली बार पाये जाने पर 100.00 दोबारा पाये जाने पर 500.00
28	नाली में कूड़ा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरुद्ध करने पर	200.00 प्रति घटना
29	घरेलू (तेजाब, हारपिक सेनेटरी पैड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलैक्ट्रोनिक कचरा खुले में डालने पर	200.00 प्रति घटना
30	खाली प्लॉट में सॉलिड वेस्ट (कचरा,गोबर इत्यादि) फेंकने पर	1,000.00 प्रति घटना
31	बल्क वेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फेलाने/इधर-उधर फेंकने तथा आग लगाने इत्यादि पर	3,000.00 प्रति घटना
32	मकान की तोड़-फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्माण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लॉट/सरकारी भूमि तथा इधर-उधर फेंकने पर	1,000.00 प्रतिदिन
33	गीले एंव सूखे कूड़े को पृथक्-पृथक् न देने पर	100.00 प्रतिदिन घरेलू 5,000.00 प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल, प्रति हॉल इत्यादि) 500.00 प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)

उपरोक्त कैरिंग चार्ज/शमन शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना वसूल किया जायेगा।

लक्ष्मी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
शमसाबाद (आगरा)।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा)

21 अक्टूबर, 2019 ई0

सं0 322/न0पा0प0-श0/2019-20—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद, जिला आगरा अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2019 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में वाणिज्य नियंत्रण लाइसेंस उपविधि प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निम्नवत् उपविधि प्रकाशन उपरान्त प्रभावी मानी जायेगी।

वाणिज्य नियंत्रण लाइसेंस उपविधि

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगरपालिका के अनुसार लाइसेंस शुल्क आरोपित उपविधियां।

नियमावली/उपविधियां

1–संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृत्ति–

2–यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषायें–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) से है।

(ग) 'शुल्क' का तात्पर्य पालिका में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) 'प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) से है।

(ङ) 'निरीक्षणकर्ता' से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) अधिकृत करे से है।

3–नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद की सीमा में रहते हुये वार्षिक शुल्क के रूप में देना होगा।

4–नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद का होगा।

5–लाइसेंस शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगा। आरोपित कर की सूचना प्रथमबार नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद कार्यालय द्वारा शुल्कदाता के पास भेजी जाये उसके पश्चात् प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6–यदि शुल्कदाता अपना सम्बन्धित कारोबार बंद करता है, तो उसे 15 दिवस में लिखित रूप में कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) को सूचित करना होगा। अधिशासी अधिकारी स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति से जांच कराकर संतुष्टि पश्चात् भविष्य के लिये शुल्क की समाप्ति कर सकता है।

7–शुल्कदाता को उक्त शुल्क प्रतिवर्ष अप्रैल माह से जमा करने के लिये छूट होगी। उसके पश्चात् जमा कराने पर प्रतिमाह रु0 20.00 विलम्ब शुल्क देना होगा। इस संदर्भ में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

8–उक्त दरों में प्रति 5 वर्ष के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि मान्य होगी।

तालिका

क्रम सं0	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु0
	(क) होटल/रेस्टोरेंट–	
1	होटल लॉजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	400.00 प्रतिवर्ष
2	होटल लॉजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैय्या से 20 शैय्या तक	1,000.00 प्रतिवर्ष
3	सामान्य होटल	250.00 प्रतिवर्ष
4	रेस्टोरेन्ट	200.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु0
	(ख) नर्सिंग होम–	
1	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	750.00 प्रतिवर्ष
2	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	1,500.00 प्रतिवर्ष
3	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	1,250.00 प्रतिवर्ष
4	प्राइवेट अस्पताल	1,500.00 प्रतिवर्ष
5	पैथालॉजी सेन्टर	250.00 प्रतिवर्ष
6	एक्स-रे क्लीनिक	750.00 प्रतिवर्ष
7	डेण्टल क्लीनिक	750.00 प्रतिवर्ष
8	प्राइवेट क्लीनिक	400.00 प्रतिवर्ष
	(ग) परिवहन–	
1	ट्रांसपोर्ट (बिना वाहन एजेन्सी)	1,000.00 प्रतिवर्ष
2	ट्रांसपोर्ट (वाहन सहित)	1,250.00 प्रतिवर्ष
3	आटो रिक्शा (2 सीटर)	100.00 प्रतिवर्ष
4	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	150.00 प्रतिवर्ष
5	आटो रिक्शा 4 सीटर	125.00 प्रतिवर्ष
6	मिनी बस	500.00 प्रतिवर्ष
7	बस	750.00 प्रतिवर्ष
8	रिक्शा किराये पर	100.00 प्रतिवर्ष
9	रिक्शा निजी चालित	50.00 प्रतिवर्ष
10	ट्राली	100.00 प्रतिवर्ष
11	अन्य चार पहियों के वाहन तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	150.00 प्रतिवर्ष
12	मोटर गैरेज	400.00 प्रतिवर्ष
13	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शाप	100.00 प्रतिवर्ष
14	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	150.00 प्रतिवर्ष
15	स्कूटर गैरिज (2 पहिया)	800.00 प्रतिवर्ष
16	साइकिल दुकान	100.00 प्रतिवर्ष
	(घ) पेट्रोलियम–	
1	दुकान मिट्टी का तेल 100 गैलन तक	100.00 प्रतिवर्ष
2	मिट्टी के तेल की दुकान 300 गैलन तक	250.00 प्रतिवर्ष
3	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (ऑयल कम्पनी)	1,500.00 प्रतिवर्ष
4	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	1,000.00 प्रतिवर्ष
5	दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद	400.00 प्रतिवर्ष
	(ङ) अन्य व्यवसाय–	
1	आटा चक्की/मसाला आदि पीसने की चक्की	100.00 प्रतिवर्ष
2	धुलाई (गृह लाउन्ड्री)	100.00 प्रतिवर्ष
3	ड्राई क्लीनर	150.00 प्रतिवर्ष
4	साबुन फैक्ट्री	500.00 प्रतिवर्ष
5	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्डड्रिंक शोडा स्टेड वाटर फैक्ट्री	500.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु0
6	गुद्ड़ गोदाम	500.00 प्रतिवर्ष
7	कंकड़ तथा सुर्खी की भट्ठी	750.00 प्रतिवर्ष
8	चूना	100.00 प्रतिवर्ष
9	ईंट भट्ठा	2,500.00 प्रतिवर्ष
10	पेठा बनाने का कारखाना	400.00 प्रतिवर्ष
11	जूता बनाने का कारखाना	400.00 प्रतिवर्ष
12	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईंट, बालू, थोक मोरंग, मारबल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्ड वेयर (फुटकर)	750.00 प्रतिवर्ष
13	बिजली के सामान के विक्रेता	150.00 प्रतिवर्ष
14	कपड़ा फुटकर एवं थोक विक्रेता	250.00 प्रतिवर्ष
15	चाय के थोक विक्रेता	100.00 प्रतिवर्ष
16	गट फैक्ट्री	100.00 प्रतिवर्ष
17	खाल एवं बाल उतारने वालों पर	300.00 प्रतिवर्ष
18	कैटरिंग	300.00 प्रतिवर्ष
19	बेकरी	400.00 प्रतिवर्ष
20	बेकरी पावर	750.00 प्रतिवर्ष
21	हेयर कटिंग सैलून	150.00 प्रतिवर्ष
22	ब्यूटी पार्लर	300.00 प्रतिवर्ष
23	कुकिंग गैस एजेन्सी	500.00 प्रतिवर्ष
24	जनरल मर्चेन्ट	700.00 प्रतिवर्ष
25	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00 प्रतिवर्ष
26	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी)	200.00 प्रतिवर्ष
27	कोयला थोक विक्रेता	1,500.00 प्रतिवर्ष
28	कोयला फुटकर विक्रेता	150.00 प्रतिवर्ष
29	मसाला/पान मसाला (फैक्ट्री)	1,500.00 प्रतिवर्ष
30	पेन्ट की दुकान	4,000.00 प्रतिवर्ष
31	ज्वेलर्स (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्न ओवर	8,000.00 प्रतिवर्ष
32	ज्वेलर्स (छोटे) 5 लाख से कम टर्न ओवर	4,000.00 प्रतिवर्ष
33	विज्ञापन एजेन्सी	4,000.00 प्रतिवर्ष
34	डेयरी फार्म	400.00 प्रतिवर्ष
35	भूसा थोक विक्रेता	400.00 प्रतिवर्ष
36	भूसा फुटकर विक्रेता	150.00 प्रतिवर्ष
37	आडियो लाइब्रेरी	150.00 प्रतिवर्ष
38	वीडिओ लाइब्रेरी	300.00 प्रतिवर्ष
39	केबिल टी0वी0	400.00 प्रतिवर्ष
40	आर्कीटेक्ट, कन्सलटेंट विधि, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट	2,000.00 प्रतिवर्ष
41	फाइनेंस कम्पनी चिट फण्ड	2,000.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु0
42	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	4,000.00 प्रतिवर्ष
43	फाउण्डिग इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रियल	400.00 प्रतिवर्ष
44	ढलाई भट्ठी, खाद मशीन आदि	250.00 प्रतिवर्ष
45	पशुवध (छोटा)	5.00 प्रतिवर्ष
46	पशुवध (बड़ा)	10.00 प्रतिवर्ष
47	साग गोदाम/फल गोदाम	150.00 प्रतिवर्ष
48	हड्डी, खाल, सींग, चमड़ा आदि गोदाम	400.00 प्रतिवर्ष
49	अनाज, तिलहन, चीनी गुड़ खांडसारी थोक विक्रेता	2,000.00 प्रतिवर्ष
50	अनाज, तिलहन, चीनी गुड़ खांडसारी फुटकर विक्रेता	600.00 प्रतिवर्ष
51	आइस फैक्ट्री	100.00 प्रतिवर्ष
52	कोल्ड स्टोर	2,000.00 प्रतिवर्ष
53	शोरा फैक्ट्री	2,000.00 प्रतिवर्ष
54	टेन्ट हाउस	500.00 प्रतिवर्ष
	दुकान–	
1	पान/तम्बाकू की दुकान	100.00 प्रतिवर्ष
2	चाय की दुकान	100.00 प्रतिवर्ष
3	जनरल मर्चेन्ट की दुकान फुटकर	300.00 प्रतिवर्ष
4	किताबों की थोक दुकान	400.00 प्रतिवर्ष
5	किताबों की फुटकर दुकान	150.00 प्रतिवर्ष
6	न्यूज पेपर विक्रेता	150.00 प्रतिवर्ष
7	लकड़ी की टाल थोक विक्रेता	400.00 प्रतिवर्ष
8	लकड़ी की टाल फुटकर विक्रेता	150.00 प्रतिवर्ष
9	टिम्बर मर्चेन्ट	4,000.00 प्रतिवर्ष
10	रेडियो मैकेनिक, टी0वी0 मरम्मत	400.00 प्रतिवर्ष
11	टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक्स वस्तुयें	1,250.00 प्रतिवर्ष
12	फर्टीलाइजर शाप	400.00 प्रतिवर्ष
13	प्लास्टिक फैक्ट्री	2,000.00 प्रतिवर्ष
14	प्लास्टिक ट्रेडर्स	250.00 प्रतिवर्ष
15	मिठाई की दुकान	250.00 प्रतिवर्ष
16	पानी बतासा की दुकान विक्रेता	100.00 प्रतिवर्ष
17	ड्राई फ्रूट थोक विक्रेता	400.00 प्रतिवर्ष
18	ड्राई फ्रूट फुटकर विक्रेता	200.00 प्रतिवर्ष
19	गैस फिलिंग प्लांट	4,000.00 प्रतिवर्ष
20	गैस फिलिंग दुकान (छोटी)	100.00 प्रतिवर्ष
21	सब्जी की दुकान/फल की दुकान	100.00 प्रतिवर्ष
22	विल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1,500.00 प्रतिवर्ष
23	मसाले थोक विक्रेता	1,500.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु0
24	मसाले के फुटकर विक्रेता	750.00 प्रतिवर्ष
25	पीतल एवं स्टील वर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के थोक विक्रेता	2,000.00 प्रतिवर्ष
26	पीतल एवं स्टील वर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के फुटकर विक्रेता	500.00 प्रतिवर्ष
27	आटा चक्की/मसाला चक्की	500.00 प्रतिवर्ष
28	आटा मिल	2,000.00 प्रतिवर्ष
29	ऑयल मिल	5,000.00 प्रतिवर्ष
30	भैंसा, भैंस (बड़ा) पशु मांस की दुकान	500.00 प्रतिवर्ष
31	बकरी/बकरा (छोटा) पशु मांस की दुकान	1,000.00 प्रतिवर्ष
32	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	1,500.00 प्रतिवर्ष
33	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00 प्रतिवर्ष
34	क्रॉकरी विक्रेता	250.00 प्रतिवर्ष
35	चूड़ी विक्रेता	100.00 प्रतिवर्ष
36	जूता (चमड़ा प्लाटिक) विक्रेता	250.00 प्रतिवर्ष
37	ग्लास फैक्ट्री/कांच के बनने वाली समस्त फैक्ट्री	500.00 प्रतिवर्ष
38	अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक दवा की दुकान फुटकर/थोक	250.00 प्रतिवर्ष
39	रस्सी/बांस/बल्ली आदि की दुकान	100.00 प्रतिवर्ष
40	अन्य सभी प्रकार की दुकान एवं प्रतिष्ठान	100.00 प्रतिवर्ष
41	अन्य सभी प्रकार की फैक्ट्रियां आदि	250.00 प्रतिवर्ष
	पशुपालन–	
1	प्रति पशु (बड़ा)	10.0 प्रतिवर्ष
2	प्रति पशु (छोटा)	5.00 प्रतिवर्ष
3	कॉजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	
	(क) छोटा जानवर	50.00 प्रतिवर्ष
	(ख) बड़ा जानवर	100.00 प्रतिवर्ष
4	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	20.00 प्रतिवर्ष
5	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़े आदि	30.00 प्रतिवर्ष

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, शमसाबाद (आगरा) यह आदेश करती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकन रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) तक जुर्माना किया जा सकता है कि उल्लंघन बराबर जारी रहते अर्थदण्ड दिया जायेगा जो अपराधी द्वारा प्रथमबार अपराध किये जाने की तिथि से रु0 5.00 प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है।

लक्ष्मी देवी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
शमसाबाद (आगरा)।

कार्यालय, नगर पंचायत, सफीपुर (उन्नाव)

22 फरवरी, 2021 ई0

सं0 02-1510/उप0 प्रका0/न0पं0स0/2020-2021—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में "वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020" बनायी है, जिसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक पायनियर समाचार-पत्र में दिनांक 07 जनवरी, 2021 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुयी है। यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020

1—**शीर्षक**—यह उपविधि न0पं0 सफीपुर (उन्नाव) वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है—

(क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद उन्नाव से है;

(ख) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है;

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद उन्नाव के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है;

(ङ) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;

(च) "वाहनों" से तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है;

(छ)"कर्मचारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव के कर्मचारी से है;

(ज) "नाका बैरियर" से तात्यर्प नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव के नाका बैरियर से है;

(झ) "सड़क/पटरियों" का तात्पर्य नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गों प्रान्तीय, गैर प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

4—**शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह**—नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 ट्योटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते हैं, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/पेट्रोल/गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक सामान उतारने चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5—नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हों की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हों, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत, सफीपुर निश्चित करेगी।

6—प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सके।

7–इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत, सफीपुर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जांचोपरान्त उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

8–नगर पंचायत, सफीपुर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

9–यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत, सफीपुर की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में दण्ड वसूल कर रसीद देगा।

10–यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी हो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11–यह कि नगर पंचायत चाहे तो वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू-राजस्व भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12–निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(क) मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बूलेंस।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जावे।

(ग) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोड़कर) जो सरकारी ड्यूटी पर हों किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ) नगर सीमा के अन्दर बिना रुके सीधे जाने वाले वाहन।

प्रतिबन्ध

13–नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस, टैम्पो, टू-सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं थ्री व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खड़े होने एवं सवारी उतारने एवं चढाने हेतु निर्धारित किये जाते हैं।

(क) उन्नाव-हरदोई मार्ग पर गुलाब बिल्डिंग वाहन पार्किंग।

(ख) 1-मियांगज रोड पार्किंग, 2-उन्नाव-हरदोई मार्ग पर ब्लॉक रोड पार्किंग।

(ग) परियर रोड पार्किंग।

14–कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनीबस, जीप, टैक्सी, टैम्पों इत्यादि जो सवारियां ढोती हैं वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 किमी0 परिधि में सवारी उतारने व चढाने हेतु न तो गाड़ी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड का भागी होगा।

15–अध्यक्ष, नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आवादी में प्रतिबन्धित गाडियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

16–नगर पंचायत, सफीपुर, उन्नाव की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी–

1	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस (रोडवेज, प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहन आदि	रु0 50.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिये रु0 100.00 प्रतिदिन)
2	ट्रैक्टर ट्राली	रु0 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 50.00)
3	मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु0 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 70.00)
4	टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो इत्यादि	रु0 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 60.00)
5	तांगा, ई-रिक्शा	रु0 5.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 20.00)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, सफीपुर, जनपद उन्नाव यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सफीपुर,
उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-''ए के डी इन्टरप्राइजेज'', 31/51, शिवाजी मार्ग, निकट बैंक ऑफ बड़ौदा, अमीनाबाद, लखनऊ, उ0प्र0 226018, रजि0 नं0-एल यू सी/0003819 का पंजीकरण दिनांक 25 जून, 2019 को कराया गया था जिसमें अरूण कुमार पाण्डेय प्रथम एवं कुलदीप वर्मा द्वितीय साझेदार थे। उक्त फर्म में दिनांक 21 जनवरी, 2021 को श्रीमती स्मिता बंसल को तृतीय व मनीष बंसल को चतुर्थ साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है, वर्तमान में उक्त फर्म में अरूण कुमार पाण्डेय प्रथम, कुलदीप वर्मा द्वितीय, स्मिता बंसल तृतीय एवं मनीष बंसल चतुर्थ साझीदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अरूण कुमार पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स-ए के डी इन्टरप्राइजेज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेज, 29, पुराना ममफोर्डगंज, प्रयागराज की भागीदार राज मोहिनी पाण्डेय का दिनांक 20 मई, 2020 को निधन हो गया है तथा सुधांशु पाण्डेय दिनांक 21 मई, 2020 को उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। मृतक भागीदार राजमोहिनी पाण्डेय का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

भास्कर नारायण पाण्डेय,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-''ताजपुरिया लेमिनेट्स'', प्रथम तल आफिस नं0 4, शिवानी पैलेस, संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ, रजि0 नं0-203611 का पंजीकरण दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को कराया गया था जिसमें अशोक कुमार अग्रवाल प्रथम, रितेश कुमार अग्रवाल द्वितीय, सुनील कुमार अग्रवाल तृतीय साझेदार थे। उक्त फर्म के द्वितीय साझेदार रितेश कुमार अग्रवाल दिनांक 05 सितम्बर, 2020 से स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं तथा उक्त

तिथि से फर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में अशोक कुमार अग्रवाल प्रथम एवं सुनील कुमार अग्रवाल द्वितीय साझीदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अशोक कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स-ताजपुरिया लेमिनेट्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-''स्नार फूड्स'', सी-1292, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0 226016 का पंजीकरण दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को कराया गया था जिसमें अरूण जैन प्रथम, संजय पंजवानी द्वितीय, राजीव पंजवानी तृतीय, नमित भारद्वाज चतुर्थ, रेनिश वाडिया पांचवें, निखिल कुमार छठें एवं अरूण गावरी सातवें साझीदार थे, जिसमें सातवें साझेदार के स्थान पर जय पंजवानी को दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के सातवें साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा तथा फर्म का स्थान परिवर्तित करके 609 से 612, छंठा फ्लोर, साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 226010 कर दिया गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अरूण जैन,
साझेदार,
मेसर्स-''स्नार फूड्स''।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मैनपुरी सर्विस स्टेशन, आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम उदयवीर सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप जैन निवासी खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद एवं श्री पियूष चन्देल पुत्र श्री विजय कुमार चन्देल, निवासी पावर हाउस रोड, जिला मैनपुरी दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को संचालन की थी जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से श्री उदयवीर सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप जैन, निवासी खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद पृथक हो गये हैं। अब फर्म को श्री पियूष चन्देल और श्रीमती तृप्ति सिंह साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

पियूष चन्देल,
साझेदार,
मे0 मैनपुरी सर्विस स्टेशन,
आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 श्री गंगा एच0पी0 फिलिंग स्टेशन, ग्राम व पोस्ट-पुरदिल नगर, तहसील सिकन्द्राराऊ, जिला-हाथरस में श्री पीयूश शर्मा पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी-48, स्टेट बैंक कॉलोनी, प्रीमियर नगर, अलीगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किये गये हैं तथा फर्म के पूर्व द्वितीय पक्ष भागीदार श्री अजय कुमार जैन पुत्र स्व0 विजय कुमार जैन, वर्तमान निवासी जी0टी0 रोड, पंच चौराहा, लाला का नगला, सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस, दिनांक 15 फरवरी, 2021 से उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री प्रेमशंकर शर्मा व पीयूश शर्मा ही भागीदार हो गये हैं।

प्रेम शंकर शर्मा,
भागीदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एम0बी0 एक्सपोर्ट्स इन्टरनेशनल, वर्तमान पता 84/3ए, फजलगंज, कानपुर एवं फैक्टरी बी-8 यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 टेक्सटाइल पार्क, रूमा कानपुर, पूर्व पता 16/52, सिविल लाइन्स, कानपुर एवं फैक्टरी शाखा 84/3ए, फजलगंज कानपुर में सर्वश्री अनिल शरण गर्ग, सुनील शरण गर्ग, सुधीर शरण गर्ग एवं श्रीमती रूची गर्ग पार्टनरशिप डीड दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 के अनुसार पार्टनर थे और उपरोक्त फर्म से सर्वश्री अनिल शरण गर्ग एवं सुनील शरण गर्ग दोनों निवासीगण 7/18, पार्वती बागला रोड, कानपुर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से पृथक हो गये हैं और वर्तमान में सर्वश्री सुधीर शरण गर्ग, मयंक शरण गर्ग, शशांक शरण गर्ग एवं श्रीमती रूची गर्ग सभी निवासीगण 7/18, पार्वती बागला रोड, कानपुर दिनांक 01 जनवरी, 2021 से पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 जनवरी, 2021 के अनुसार पार्टनर हो गये हैं।

पार्टनर,
सुधीर शरण गर्ग।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मार्डन इन्डस्ट्रीज, पता आर-05/06, परसाखेड़ा रोड नं0 01, बरेली, यू0पी0, पिन कोड 243502 फर्म पंजीकरण संख्या बी-11610 में कुल दो साझेदार सुशील कुमार महेश्वरी पुत्र स्व0 उमा शंकर महेश्वरी थे फर्म के एक साझेदार सुशील कुमार महेश्वरी ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 नवम्बर, 2020 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग कर लिया। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या साझेदार पर कोई लेना-देना बकाया नहीं रह गया है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार हैं। सौरभ महेश्वरी एवं मंजू महेश्वरी हैं तथा फर्म में एवं साझेदार में किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

सौरभ माहेश्वरी,
साझेदार,
मे0 मार्डन इन्डस्ट्रीज, बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 चन्द्र शील कोल्ड स्टोरेज, जो 21/30, फ्रीगंज, आगरा में स्थित थी वर्तमान में एन0 एच0-2 मथुरा रोड रूनकता, आगरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में रविन्द्र मोहन पचौरी पुत्र श्री आर0 एस0 पचौरी, निवासी 1/55, दिल्ली गेट, आगरा, श्री सुनील चंद बंसल पुत्र स्व0 चन्द्रभान बंसल, निवासी 21/30, फ्रीगंज, आगरा व श्री विशाल बंसल पुत्र श्री सुनील चंद बंसल, निवासी 21/30, फ्रीगंज, आगरा साझेदार थे। श्रीमती रजनी पचौरी पत्नी डा0 रविन्द्र मोहन पचौरी, निवासी 1/55, दिल्ली गेट, आगरा दिनांक 10 नवम्बर, 2006 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं एवं श्री सुनील चंद बंसल पुत्र स्व0 चन्द्रभान बंसल, निवासी 21/30, फ्रीगंज, आगरा व श्री विशाल बंसल पुत्र श्री सुनील चंद बंसल, निवासी 21/30, फ्रीगंज, आगरा, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 से उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को श्री ऋषभ पचौरी व डा0 रजत पचौरी पुत्रगण डा0 रविन्द्र मोहन पचौरी सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में रविन्द्र मोहन पचौरी, रजनी पचौरी, ऋषभ पचौरी व डा0 रजत पचौरी साझेदार हैं।

रविन्द्र मोहन पचौरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आर0 आर0 डवलपर्स, जो 1/55, दिल्ली गेट, आगरा में स्थित है। उपरोक्त फर्म में रविन्द्र मोहन पचौरी पुत्र श्री आर0 एस0 पचौरी, रजनी पचौरी पत्नी श्री रविन्द्र मोहन पचौरी, निवासीगण-1/55, दिल्ली गेट, आगरा, श्री विपिन कुमार गोयल व श्री अजय कुमार गोयल पुत्रगण स्व0 रामकिशन गोयल, श्रीमती शशी गोयल पत्नी श्री संजय कुमार गोयल, श्रीमती दीपिका गोयल व कु0 पूजा पुत्रीगण स्व0 श्री संजय कुमार गोयल व श्री तरूण गोयल पुत्र स्व0 संजय कुमार गोयल, निवासीगण 93, नार्थ विजय नगर कॉलोनी, आगरा साझेदार थे। श्री विपिन कुमार गोयल व श्री अजय कुमार गोयल पुत्रगण स्व0 रामकिशन गोयल, श्रीमती शशी गोयल पत्नी श्री संजय कुमार गोयल, श्रीमती दीपिका गोयल व कु0 पूजा पुत्रीगण स्व0 संजय कुमार गोयल व श्री तरूण कुमार गोयल पुत्र स्व0 संजय कुमार गोयल, निवासीगण 93, नॉर्थ विजय नगर कालोनी, आगरा, दिनांक 08 जुलाई, 2008 से उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को श्री ऋषभ पचौरी व डा0 रजत पचौरी पुत्रगण डा0 रविन्द्र मोहन पचौरी सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में रविन्द्र मोहन पचौरी, रजनी पचौरी, ऋषभ पचौरी व डा0 रजत पचौरी साझेदार हैं।

रविन्द्र मोहन पचौरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आमिना खातून पत्नी मुहम्मद लतीफ, ग्राम-सेमरा मुस्तहकम, पोस्ट-सकारपार, तहसील-बांसी, जिला-सिद्धार्थनगर की निवासिनी हूं। मैं आमिना खातून (Aamina Khatoon) पत्नी मुहम्मद लतीफ तथा अमीना खातून (Amina Khatoon) पत्नी मुहम्मद लतीफ दोनों नामों से जानी पहचानी जाती हूं, दोनों नाम मेरा ही है मेरे पति मुहम्मद लतीफ ने अपना नाम बदल कर अब्दुल लतीफ कर लिये हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी गजट प्रयागराज, शनिवार 26 सितम्बर, 2020 ई0 (आश्विन 4, 1942 शक संवत्) भाग 8 के पृष्ठ संख्या 540 में प्रकाशित करवा लिये हैं अब मुझे केवल आमिना खातून (Aamina Khatoon) पत्नी अब्दुल लतीफ पता उपरोक्त के रूप में जाना पहचाना एवं लिखा जाय। आरा मशीन लाइसेंस संख्या 67 जो अमीना खातून पत्नी मुहम्मद लतीफ के नाम से है अब आमिना खातून पत्नी अब्दुल लतीफ के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा जाय।

आमिना खातून पत्नी अब्दुल लतीफ।

सूचना

मोहम्मद सोहराब व शोहराब अली एक ही व्यक्ति हैं। भविष्य में इन्हें शोहराब अली पुत्र हाजी अलाउद्दीन जाने व पहचाने। शोहराब अली, लोहराडीह कपसेठी, वाराणसी।

शोहराब अली पुत्र
स्व0 हाजी अलाउद्दीन,
निवासी-ग्राम लोहराडीह, पोस्ट कपसेठी,
जनपद वाराणसी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम लीला देवी था। मैंने अपना नाम बदलकर लीलावती देवी रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

लीलावती देवी पुत्री
स्व0 बृजनाथ प्रसाद,
निवासी-ग्राम चकतिलसवां, पोस्ट-राजापुर,
जनपद-मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 शुद्ध प्लस हाईजिन प्रोडक्ट्स, पता-402, गैलेन्ट लैण्ड मार्क, विजय चौक, बैंक रोड, गोरखपुर, उ0प्र0 273001 साझीदारी फर्म में से मे0 शुद्ध प्लस हाईजिन प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 (साझीदार), पता-402, गैलेन्ट लैण्ड मार्क, विजय चौक, बैंक रोड, गोरखपुर, उ0प्र0 273001 फर्म से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से पृथक हो गये हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से मे0 शुद्ध प्लस हाईजिन प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 का फर्म से कोई लेना-देना अवशेष नहीं रह गया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से फर्म से मे0 शुद्ध प्लस हाईजिन प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 के पृथक होने के उपरान्त फर्म में निम्न साझीदार रह गये हैं। 1—मे0 के0जी0 पान प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, पता-भूखण्ड संख्या 4/13, सेक्टर-13, गीडा सहजनवां, गोरखपुर, उ0प्र0-273209, 2—श्री अमर तुलस्यान पुत्र श्री कृष्ण कुमार तुलस्यान, निवासी-801, बसन्त इनक्लेव राजेन्द्र नगर पूर्वी लच्छीपुर, गोरखपुर-273015, 3—श्री शरत खेमका पुत्र श्री दीपक खेमका, निवासी-631 ई, पार्वती बंगला रोड, कानपुर, उ0प्र0-208002, 4—श्री गौरव बथवाल पुत्र श्री राजकुमार बथवाल, पता-कार्तिकेय विला गांधीनगर, गोलघर, गोरखपुर, उ0प्र0-273001।

अमर तुलस्यान,
साझीदार,
मे0 शुद्ध प्लस हाईजिन प्रोडक्ट्स।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मारकन्डेय सिंह एसोसिएट्स, ग्राम व पो0-कन्हौली, जनपद-देवरिया, उ0प्र0 में साझेदार डीड दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 से क्रमशः मारकंडेय सिंह, श्री अरूण कुमार सिंह एवं श्री शैलेश कुमार तिवारी कुल तीन साझेदार रहे हैं। साझेदार शैलेश कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भू शरण तिवारी, दिनांक 02 मार्च, 2021 से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये हैं। उनके हिस्से का हक उन्हें बचे हुये दोनों साझेदार मारकंडेय सिंह एवं श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अदा किया गया तथा साझेदारी डीड दिनांक 02 मार्च, 2021 से श्री सागर सक्सेना पुत्र संजीव कुमार सक्सेना उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। शेष बचे तीन साझेदार मारकंडेय सिंह व श्री अरूण कुमार सिंह एवं श्री सागर सक्सेना द्वारा आगे साझेदारी में व्यापार का संचालन किया जायेगा।

मारकन्डेय सिंह,
मेसर्स मारकन्डेय सिंह एसोसिएट्स,
ग्राम व पो0-कन्हौली, जनपद-देवरिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रॉयल सिक्योरिटी एण्ड मैन पावर सर्विसेज, म0नं0 405/5, ए0डी0ए0 कालोनी, चक नौनिया, नैनी, प्रयागराज की भागीदार मनोरमा दिनांक 27 फरवरी, 2021 को उक्त फर्म से स्वेच्छा पूर्व अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गयी हैं। श्री भाष्कर नारायण पाण्डेय नये भागीदार के रूप में उक्त फर्म में स्वेच्छा पूर्वक शामिल हो गये हैं। फर्म से पृथक हुयी भागीदार मनोरमा का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है। फर्म का पूर्व पंजीकृत पता म0नं0 405/5, ए0डी0ए0 कालोनी, चक नौनिया, नैनी, इलाहाबाद से परिवर्तित कर ई0ई0 150 दूरवाणी नगर, ए0डी0ए0, नैनी, प्रयागराज कर लिया गया है।

मनोज कुमार सोनी,
भागीदार।

NOTICE

This is to declare that profit/loss percentage of Manoj Kumar Singh Partner is increased from 50% to 90% and that of Abhay Shankar Singh Partner is decreased from 50% to 10% in the firm of M/s. SHIV SHAKTI CONSTRUCTION R/o Faridaha Khanpur, Ghazipur effect from 01-04-2020. Rest all terms and conditions are kept as it is.

Manoj Kumar Singh,
Faridaha Khanpur, Ghazipur.

पी0एस0यू0पी0—49 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।